Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 137–2022/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, AUGUST 1, 2022 (SRAVANA 10, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार

खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग

आदेश

दिनांक 1 अगस्त, 2022

संख्या एफ0जी0–1–2022/13137.– भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, आदेश संख्या सा0 का नि0 630(ई), दिनांक 31 अगस्त, 2001 के साथ पठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के पैरा 5 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10), की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 के दृष्टिगत, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, आवश्यक वस्तुओं के विक्रय तथा वितरण को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित आदेश बनाते है, अर्थात्:–

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ।

1. (1) यह आदेश हरियाणा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (अनुज्ञप्ति तथा नियंत्रण) आदेश, 2022, कहा जा सकता है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हरियाणा राज्य में है।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

परिभाषाएं।

2. (1) इस आदेश में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "आधार कार्ड" से अभिप्राय है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी की गई विशिष्ट पहचान संख्या;

(ख) "गरीबी रेखा से ऊपर के कुटुम्ब" से अभिप्राय है, कुटुम्ब, जो गरीबी रेखा से ऊपर हैं तथा जो केन्द्रीय या राज्य सरकार के खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किसी भी लाभार्थी सूची में शामिल नहीं है;

(ग) "अधिनियम" से अभिप्राय है, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10);

(घ) "अपर मुख्य सचिव" से अभिप्राय है, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग;

(ड़) "आबंटन मास" से अभिप्राय है, ऐसा मास, जिसके लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरण के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा खाद्यान्न आबंटित किए गए हैं ;

(च) "अन्त्योदय अन्न योजना" से अभिप्राय है, केन्द्रीय सरकार द्वारा दिसम्बर, 2000 के 25वें दिन को उक्त नाम से प्रारंभ की गई और समय–समय पर यथा संशोधित योजना ;

(छ) "अन्त्योदय कुटुम्ब" से अभिप्राय है, गरीबी रेखा से नीचे के वे निर्धनतम कुटुम्ब, जिनकी पहचान नागरिक संसाधन सूचना विभाग, हरियाणा या इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत किसी अन्य विभाग द्वारा की गई है और जो अन्त्योदय अन्न योजना के अधीन सूचीबद्ध आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने के लिए हकदार हैं ;

(ज) "अपील प्राधिकारी" से अभिप्राय है, इस आदेश के अधीन अपील प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई प्राधिकारी;

(झ) "प्राधिकारी" से अभिप्राय है, कोई अधिकारी, जो उप–निरीक्षक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा की पदवी से नीचे का न हो;

(ञ) "गरीबी रेखा से नीचे के कुटुम्ब" से अभिप्राय है, वे कुटुम्ब, जिनकी ग्रामीण विकास विभाग या शहरी स्थानीय निकाय विभाग अथवा राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में विशेष रूप से प्राधिकृत किसी अन्य विभाग द्वारा इस प्रकार पहचान की गई है ;

(ट) "बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण" से अभिप्राय है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा यथा अभिलिखित किसी व्यक्ति की बायोमीट्रिक विशेषता के साधनों द्वारा उसकी पहचान को प्रमाणित करना;

(ठ) "वस्तु" से अभिप्राय है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (केन्द्रीय अधिनियम 20) के अधीन लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से लाभार्थी (राशन कार्ड धारकों/परिवार पहचान पत्र धारकों–पी0पी0पी0) में वितरण के लिए राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा आबंटित वस्तु;

(ड) "संविदाकार" से अभिप्राय है, उचित मूल्य की दुकान की देहली पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वस्तुओं को उठाने तथा आपूर्ति करने के लिए थोक नामनिर्देशिती या विभाग या व्यवहारी द्वारा नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति या विधिक व्यक्ति या फर्म या कम्पनी;

(ढ) "व्यवहारी" से अभिप्राय है, राज्य सरकार अथवा उसकी ओर से किसी प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति या विधिक व्यक्ति या फर्म या कम्पनी या कोई निकाय, जो उचित मूल्य की दुकान के स्वामियों के लिए किसी भी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली वस्तु को प्राप्त करता है, भण्डारण करता है और वितरण करता है;

(ण) "विभाग" से अभिप्राय है, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा ;

(त) "निदेशक" से अभिप्राय है, निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा;

(थ) "जिला शिकायत निवारण अधिकारी" से अभिप्राय है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 20) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अथवा पदाभिहित कोई अधिकारी ;

(द) "उचित मूल्य की दुकान के लिए पात्र आवेदक" से अभिप्राय है, 10+2 या इसके समकक्ष योग्यता रखने वाला, परिवार पहचान पत्र रखने वाला तथा कम्प्यूटर का मूल ज्ञान रखने वाला, जो इक्कीस वर्ष से कम अथवा पैंतालीस वर्ष से अधिक की आयु का न हो, सन्तोषजनक आर्थिक पृष्ठभूमि वाला कोई व्यक्ति तथा जो उस परिक्षेत्र का निवासी हो, जिसके लिए उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करता है। आवेदक ग्राम पंचायत के वर्तमान सरपंच या पंच तथा नगरपालिका समिति, नगर परिषद या नगर निगम के उम्मीदवार का निकट पारिवारिक सदस्य अर्थात पति–पत्नी, पुत्र, पुत्री या निकट सम्बन्धी (माता–पिता, भाई–बहन/उनके बच्चें तथा साला–साली) नही होगा। गांव का कोई सरपंच या पंच, नगरपालिका समिति, नगर परिषद् अथवा नगर निगम का सदस्य, उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति के लिए पात्र नहीं होगा। किसी उचित मूल्य की दुकान का स्वामी यदि बाद में किसी गांव का सरपंच या पंच, नगरपालिका

समिति, नगर परिषद् या नगर निगम के किसी सदस्य के रूप में निर्वाचित हो जाता है, तो उसकी अनुज्ञप्ति भी रद्द समझी जाएगी। आवेदक, राज्य या केन्द्रीय सरकार का स्थाई या संविदात्मक कर्मचारी नहीं होगा। किसी उचित मूल्य की दुकान का स्वामी यदि बाद में राज्य या केन्द्रीय सरकार का स्थाई या संविदात्मक कर्मचारी बन जाता है, तो उसकी अनुज्ञप्ति रद्द समझी जाएगी।

(ध) "ई.पी.डी.एस." से अभिप्राय है, इलैक्ट्रोनिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली;

(न) "उचित मूल्य की दुकान" से अभिप्राय है, ऐसी दुकान, जिसे इस आदेश के अधीन लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन लाभार्थियों या राशन कार्ड/परिवार पहचान पत्र धारकों को वस्तुओं का वितरण करने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है। उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति कम से कम 300 राशन कार्डों/परिवार पहचान पत्र के लाभार्थियों के लिए प्रदान की जाएगी, किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रयोजन के लिए एक गांव को एक इकाई के रूप में समझा जाएगा तथा उचित मूल्य की दुकान के लिए ऐसी अनुज्ञप्ति गांव के 300 राशन कार्ड/परिवार पहचान पत्र से कम के लिए भी जारी की जा सकती है;

(प) "उचित मूल्य की दुकान का स्वामी" से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति जिसके नाम से दुकान को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वस्तुओं के वितरण के लिए अनुज्ञप्त किया गया है, तथा इसमें सहकारी सोसाइटी या कोई अन्य निकाय जो केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा स्वामित्वाधीन, प्रबन्धित या नियन्त्रित नही है, शामिल है;

(फ) "फीसट" से अभिप्राय है, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए लक्षित खाद्य तथा आवश्यक वस्तु आश्वासन तथा सुरक्षा जो कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतू सम्पूर्ण आपूर्ति श्रृंखला चक्र के लिए ऑनलाईन आवेदन करता है;

(ब) "खाद्य सुरक्षा अधिनियम" से अभिप्राय है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 20);

(भ) "अन्तरराज्यिक सुवाह्यता" से अभिप्राय है, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्यों में किसी उचित मूल्य की दुकान से लाभार्थियों को अपना राशन प्राप्त करने हेतु समर्थ बनाने के लिए उपलब्ध करवाई गई कोई सुविधा;

(म) "अनुज्ञापन प्राधिकारी" से अभिप्राय है, सम्बन्धित जिले का जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक और राज्य स्तर पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन के लिए कॉन्फैड या किसी अन्य एजेंसी के लिए निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग होगा ;

(य) "विक्रय यन्त्र बिन्दु (पी.ओ.एस.)" से अभिप्राय है, उचित मूल्य की दुकान में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के वितरण के दौरान संव्यवहार के लिए प्रयुक्त कोई इलैक्ट्रॉनिक यंत्र;

(यक) "कारोबार स्थल" से अभिप्राय है, ऐसा स्थल, जहां कोई व्यवहारी या उचित मूल्य की दुकान का स्वामी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 20) के अधीन किन्हीं वस्तुओं का भण्डारण, विक्रय या वितरण करता है;

(यख) "सुवाह्यता" से अभिप्राय है, सम्पूर्ण राष्ट्र में लाभार्थियों की सुविधा के अनुसार किसी उचित मूल्य की दुकान से उनका अधिकृत राशन प्राप्त करने के लिए समर्थ बनाने हेतु उनको उपलब्ध करवाई गई कोई सुविधा;

(यग) "राशन कार्ड" से अभिप्राय है, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 20) के अधीन या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के किसी आदेश या प्राधिकार या किसी अन्य विशिष्ट उद्देश्य के लिए वस्तुओं की खरीद हेतू राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के किसी आदेश या प्राधिकार के अधीन लाभार्थियों को जारी किया गया कोई पेपर या इलैक्ट्रॉनिक दस्तावेज या स्मार्ट कार्ड;

(यघ़) "परिवार पहचान पत्र" से अभिप्राय है, हरियाणा परिवार पहचान पत्र अधिनियम, 2021 (2021 का 22) के अधीन 08 अंको की विशिष्ट पहचान संख्या वाला कुटुम्ब;

(यड़) "वसूली" से अभिप्राय है, भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा फसलवार यथा नियत वस्तु या इसकी आर्थिक लागत की वसूली;

(यच) "राज्य सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार;

(यछ) "सामाजिक अंकेक्षण" से अभिप्राय है, ऐसी प्रक्रिया, जिसमें सर्वसाधारण सामूहिक रूप के लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की निगरानी तथा मूल्यांकन करते है;

(यज) "आपूर्ति श्रृंखला प्रबन्धन" से अभिप्राय है, संचालन की इलैक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एजेंसी द्वारा नामित डिपो से उचित मूल्य की दुकान के स्थल तक स्टॉक के संचलन के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन विकसित कोई प्रक्रिया;

(यझ) "लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली" से अभिप्राय है, वस्तुओं के वितरण के लिए कोई प्रणाली जैसे कि गेहूं, चीनी, मोटा अनाज, सरसों का तेल, चावल तथा ऐसी अन्य वस्तुएं जो केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर, लाभार्थी को वितरण के लिए उपलब्ध करवाई जाएं;

(यञ) "निगरानी समिति" से अभिप्राय है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 20) के अधीन गठित कोई समिति;

(यट) "गांव" से अभिप्राय है, किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाली आबादी का समूह तथा जो राजस्व रिकॉर्ड में अभिलिखित है;

(यठ) "वार्ड" से अभिप्राय है, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित नगरपालिका समिति या परिषद् या नगर निगम का कोई क्षेत्र;

(यड) "कार्य समय" से अभिप्राय है, उचित मूल्य की दुकान को खोलने तथा बन्द करने के लिए राज्य सरकार या निदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट समय या अवधि;

(2) इन आदेशों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें क्रमशः भारत सरकार के लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 20) तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10) में दिए गए है।

व्यवहारियों को अनुज्ञप्ति प्रदान करना।

3. (1) कोई भी व्यवहारी वैध अनुज्ञप्ति के बिना दुकान का संचालन नहीं करेगा।

(2) राज्य सरकार द्वारा व्यवहारी को अनुज्ञप्ति प्ररूप के अनुसार प्रदान की जाएगीः

उचित मूल्य की दुकान के स्वामी का अनुज्ञापन प्राधिकारी।

4. (1) कोई भी व्यक्ति, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा उस निमित्त जारी की गई अनुज्ञप्ति के अधीन तथा के अनुसार के सिवाए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उचित मूल्य की दुकान में किसी वस्तु का संचालन नहीं करेगाः

परन्तु इस आदेश के लागू होने की तिथि को लागू किसी सुसंगत अनुज्ञप्ति आदेश के अधीन प्राप्त की गई ऐसी अनुज्ञप्ति इस आदेश के लागू होने की तिथि से इस आदेश के अधीन जारी की गई अनुज्ञप्ति के रूप में समझी जाएगी।

(2) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन किसी वस्तु से सम्बन्धित प्रत्येक कारोबार स्थल के लिए पृथक अनुज्ञप्ति अपेक्षित होगी।

(3) उचित मूल्य की दुकान के स्वामी के कुटुम्ब का कोई भी सदस्य, अन्य उचित मूल्य की दुकान के लिए द्वितीय अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा तथा कोई भी व्यक्ति दूसरे के नाम (बेनामी) वाली कारोबार अनुज्ञप्ति का संचालन नहीं करेगा।

व्याख्याः– "कुटुम्ब" में वे सभी सदस्य शामिल हैं, जिनके नाम उचित मूल्य की दुकान के स्वामी के राशन कार्ड में दर्ज किए गए हैं।

(4) कोई भी व्यक्ति, उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगा यदि, उसकी अनुज्ञप्ति सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश या किसी अन्य अधिनियम या राज्य सरकार के आदेश के अधीन पूर्व में रद्द की गई है।

(5) अनुज्ञप्तिधारी, राज्य सरकार द्वारा यथा निर्देशित पी0ओ0एस0 यंत्र या किसी अन्य यंत्र का प्रयोग करेगा तथा राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित तिथि से उचित मूल्य की दुकान संचालित करने हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए पूर्व शर्त के रूप में यंत्रों के माध्यम से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन सभी विक्रय संव्यवहारों का निष्पादन करेगाः

परन्तु किसी भी समय किसी वैध कारण के बिना पी.ओ.एस. यन्त्र या ऐसे यन्त्र का उपयोग करने में विफलता अनुज्ञप्ति के रद्दकरण का कारण होगी।

उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति जारी करना।

5. (1) अनुज्ञापन प्राधिकारी उचित मूल्य की दुकान के स्थानीय क्षेत्र में स्थानीय प्रचार तथा मुनादी के माध्यम से आवेदन मांगेगा। सभी प्रवर्गों के लिए आवेदक बेरोजगार होगा। उचित मूल्य की दुकान हेतु पात्र आवेदक के लिए धारा 2(द) में यथा विहित न्यूनतम योग्यता सभी प्रवर्गों के लिए होगी

(2) महिलाओं के लिए न्यूनतम 33 प्रतिशत उचित मूल्य की दूकान आरक्षित होंगी। सभी पात्र महिला आवेदकों के 33 प्रतिशत महिला आरक्षण के भीतर अधिमान का प्रवर्ग निम्न अनुसार होगाः–

(i) तेजाब हमले से पीड़ित महिला;

(ii) विधवा;

(iii) उपरोक्त (i) तथा (ii) के सिवाय महिला आवेदक;

परन्तु यदि उसी प्रवर्ग में एक से अधिक आवेदन प्राप्त होते है, तो उच्चतर योग्यता रखने वाले आवेदक को अधिमान दिया जाएगा।

(3) सभी पात्र पुरूष आवेदकों के अधिमान का प्रवर्ग निम्न अनुसार होगाः–

(i) अनुसूचित जाति पुरूष;

(ii) पिछड़ी जाति पुरूष;

(iii) उपरोक्त (i) तथा (ii) के सिवाय पुरूष आवेदक;

परन्तु यदि उसी प्रवर्ग में एक से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, तो उच्चतर योग्यता रखने वाले आवेदक को अधिमान दिया जाएगा।

(4) 33 प्रतिशत महिला आरक्षण ऐसी रीति में लागू किया जाएगा कि प्रत्येक तीसरी उचित मूल्य की दुकान पी.डी.एस. अनुज्ञप्ति महिला उम्मीदवार को आबँटित की जाएगी तथा इस सम्बन्ध में रिकॉर्ड प्रत्येक सम्बन्धित जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक के कार्यालय में अनुरक्षित किया जाएगा।

(5) उचित मूल्य की दुकान के लिए आवेदन, ग्रामीण क्षेत्र, में सम्बन्धित पंच या सरपंच द्वारा तथा शहरी क्षेत्र में नगर निगम के लिए मेयर, उप मेयर, नगरपालिका पार्षद तथा नगर पालिका परिषद में उसी प्रकार, सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र के विधानसभा सदस्य द्वारा अनुशंसित किए जाएंगे। उचित मूल्य की दुकान के लिए आवेदन सम्बन्धित निरीक्षक खाद्य एवं आपूर्ति या उप–निरीक्षक, खाद्य एवं आपूर्ति द्वारा सत्यापित तथा सहायक खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी द्वारा उसे अग्रेषित किया जाएगा। आवेदक के पास परिवार पहचान पत्र आई0डी0 होना चाहिए।

(6) इस आदेश के अधीन जारी की गई, पुनः जारी की गई या नवीकृत की गई प्रत्येक अनुज्ञप्ति प्ररूप 'ख' में होगी तथा स्कीम वार वस्तु (वस्तुएं) जिसका उचित मूल्य की दुकान का स्वामी व्यवहार करेगा तथा कारोबार का स्थान तथा अधिकारिता, जहां उचित मूल्य की दुकान का स्वामी उसका संचालन करेगा, विनिर्दिष्ट करेगा।

(7) नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन, ऐसी अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तिथि से कम से कम पैंतालीस दिन पूर्व अनुज्ञप्ति की मूल प्रति सहित किया जाएगा।

(8) अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन का निपटान अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तिथि से पूर्व किया जाएगा :

परन्तु जहां अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि में प्राप्त किया गया है और अस्वीकृत नहीं किया गया है या आवेदक को वापिस नहीं लौटाया गया है, तो अनुज्ञप्ति की वैधता, आवेदन के निपटान करने तक समाप्त हुई नहीं समझी जाएगी।

(9) जहां इस आदेश के अधीन जारी की गई कोई अनुज्ञप्ति गुम या नष्ट या विकृत हो जाती है, तो उचित मूल्य की दुकान का स्वामी फीस जमा करवाते हुए आवेदन करने पर अनुज्ञापन प्राधिकारी से तुरन्त उसकी प्रतिलिपि प्राप्त करेगा।

(10) अनुज्ञप्ति प्रदान करना अनुज्ञप्तिधारी को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के आबंटन के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगा। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के आबंटन के लिए सक्षम प्राधिकारी, ऐसे सम्यक् कारकों जैसे कि लाभार्थियों की पसन्द, पूर्व आबंटित कोटे का उपयोग, आपूर्ति किए जाने वाले प्रस्तावित क्षेत्र से दूरी, इस आदेश के अधीन किए गए उपबन्धों की अनुपालना, को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान के स्वामी को आंबटित किये जाने वाले कोटे के बारे में निर्णय करेगा।

(11) किसी भी मामलें में, किसी भी व्यक्ति या पारिवारिक सदस्य या किसी अन्य रिश्तेदार या किसी अन्य व्यक्ति को अनुज्ञप्ति हस्तांतरित नहीं की जाएगी।

(12) उपरोक्त सभी उचित मूल्य की दुकान की सेवाएं केवल राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऑनलाईन या अन्य के माध्यम से पहुंचाई जाएगी।

अनुज्ञप्ति की अवधि तथा प्रभार्य फीस।

6. (1) इस आदेश के अधीन प्रदान की गई प्रत्येक अनुज्ञप्ति, एक वर्ष की अवधि या वर्ष के भाग की अवधि के लिए वैध रहेगी तथा दो वर्ष की अवधि या वर्ष के भाग की अवधि के लिए एक बार नवीकृत की जा सकती है:

परन्तु यदि उचित मूल्य की दुकान का स्वामी साठ वर्ष की आयु पूरी कर लेता हो, तो अनुज्ञप्ति नवीकृत नही की जाएगी।

व्याख्याः– "वर्ष" से अभिप्राय है, अप्रैल के प्रथम दिन से प्रारम्भ तथा आगामी वर्ष के मार्च के 31वें दिन को समाप्त वित्तीय वर्ष।

(2) प्रत्येक अनुज्ञप्ति के सम्बन्ध में प्रभार्य फीस निम्न अनुसार होगीः–

(क) उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए: ₹ 5000/–(केवल पांच हजार रूपए);

(ख) व्यवहारी की अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए: ₹ 20000/– (केवल बीस हजार रूपए);

(ग) उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए: ₹ 1000/–(केवल एक हजार रूपए);

(घ) व्यवहारी की अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए: ₹ 5000/– (केवल पांच हजार रूपए);

(ड़) प्रतिलिपि अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए: ₹ 500/– (पांच सौ रूपए);

परन्तु यदि अनुज्ञप्तिधारी 31 मार्च से पूर्व अपनी अनुज्ञप्ति नवीकरण कराने में असफल रहता है, तो वह समाप्ति की तिथि से तीन मास के भीतर उसे नवीकृत करवा सकता है किन्तु अनुबन्ध अवधि के भीतर अनुज्ञप्ति नवीकरण कराने में उसकी असफलता के लिए वह विलम्ब के न्यायसंगत पर्याप्त कारण दर्शाएगाः–

(i) यदि कोई उचित मूल्य की दुकान का स्वामी वैधता की अवधि की समाप्ति से पूर्व नवीकरण के लिए आवेदन करने में असफल रहता है, किन्तु यदि वह वैधता की अवधि की समाप्ति के बाद, एक मास के भीतर आवेदन करता/करती है, तो वह नवीकरण फीस के अतिरिक्त ₹ 500/–(केवल पांच सौ रूपए) की शास्ति का भी भुगतान करेगा;

(ii) यदि कोई उचित मूल्य की दुकान का स्वामी वैधता की अवधि की समाप्ति के दो मास के भीतर नवीकरण के लिए आवेदन करने में असफल रहता है, तो वह नवीकरण फीस के अतिरिक्त ₹ 1000/– (केवल एक हजार रूपये) की शास्ति का भी भुगतान करेगा;

(iii) यदि कोई उचित मूल्य की दुकान का स्वामी वैधता की अवधि की समाप्ति के तीन मास के भीतर नवीकरण के लिए आवेदन करने में असफल रहता है, तो वह नवीकरण फीस के अतिरिक्त ₹ 2000/– (केवल दो हजार रूपये) की शास्ति का भी भुगतान करेगा;

(iv) उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति या उसके नवीकरण या उसकी प्रतिलिपि प्रदान करने के लिए प्रत्येक आवेदन अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्ररूप 'क' में किया जाएगा तथा एक मास के भीतर पूरा किया जाएगा।

(v) यदि कोई उचित मूल्य की दुकान का स्वामी तीन मास की समाप्ति के बाद भी अपनी अनुज्ञप्ति का नवीकरण कराने में असफल रहता है, तो उसकी अनुज्ञप्ति तब तक रद्द हुई समझी जाएगी जब तक वह विलम्ब के तर्कसंगत पर्याप्त कारण प्रदर्शित नहीं करता। यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी विलम्ब के कारण से सन्तुष्ट हो जाता है, तो वह नवीकरण फीस के अतिरिक्त ₹ 20000/– (केवल बीस हजार रूपए) जमा करवाने के बाद अनुज्ञप्ति को नवीकृत करेगा ;

(3) उपरोक्त विनिर्दिष्ट फीस, "0435–अन्य कृषि प्रोग्राम अनुज्ञप्ति/नवीकरण/प्रतिभूति फीस के लिए 0435–51–800–99–96 तथा राशन कार्ड फीस के लिए 0435–51–800–99–97)" मुख्य शीर्ष के अधीन राज्य सरकार के पास जमा करवाने के लिए चालान द्वारा सरकारी खजाने में या राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर, यथा विनिर्दिष्ट ऑनलाइन ढंग के माध्यम से जमा करवाई जाएगी।

(4) आवेदन के साथ फीस के भुगतान के प्रमाण के रूप में खजाना चालान रसीद लगाई जाएगी।

जमा प्रतिभूति।

7. (1) प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान का स्वामी या व्यवहारी, उसको अनुज्ञप्ति जारी करने से पूर्व, इसमें, इसके बाद, नीचे यथा विनिर्दिष्ट रीति में, अनुज्ञापन प्राधिकारी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप में नीचे वर्णित राशि जमा करवाएगाः–

(i) उचित मूल्य की दुकान के लिएः ₹ 20000/– (केवल बीस हजार रूपए) ;

(ii) व्यवहारी के लिएः ₹ 50000/– (केवल पचास हजार रूपये)।

(2) उप खण्ड (1) में निर्दिष्ट जमा प्रतिभूति अनुज्ञापन प्राधिकारी के पक्ष में पृष्ठाकिंत भारतीय स्टेट बैंक या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या राज्य सरकार के प्राधिकृत बैंक की "मांग–रसीद में जमा" के रूप में होगी।

(3) उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट जमा प्रतिभूति की राशि बढ़ाई जा सकती है, यदि कोई अतिरिक्त यन्त्र दिया जाता है या जैसा राज्य सरकार द्वारा निर्देशित किया जाता है।

व्यवहारी तथा उचित मूल्य की दुकान के स्वामी की अनुज्ञप्ति के नवीकरण से इन्कार करने की शक्ति।

8. (1) अनुज्ञापन प्राधिकारी आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा तथा सुनवाई के बाद अनुज्ञप्ति नवीकरण कर सकता है, यदि उसकी राय है कि अनुज्ञप्तिधारी का कार्य सन्तोषजनक नहीं था या कि उचित मूल्य की दुकान का स्वामी अधिनियम या उसके अधीन जारी किसी आदेश के किन्हीं उपबन्धों या अनुज्ञप्ति के निबन्धनों तथा शर्तों का उल्लंघन करता है या कि उचित मूल्य की दुकान का स्वामी कोई अन्य वणिज्यिक हित रखता है, जो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के निर्बाध संचालन के लिए हानिकारक हो या कि व्यवहारी के संचालन की अपेक्षित मात्रा आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है या कि अनुज्ञप्ति का नवीकरण अन्यथा से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दक्ष कार्यान्वयन के हित में नहीं है। अनुज्ञापन प्राधिकारी इस सम्बन्ध में स्पीकिंग ऑर्डर पारित करेगा।

(2) जहां अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन को अस्वीकृत नहीं किया जाता है, तो अनुज्ञापन प्राधिकारी, प्ररूप 'ख' में वर्णित शर्तों के अध्यधीन तथा ऐसी अन्य शर्तों पर, जो अनुज्ञापन प्राधिकारी विनिर्दिष्ट करे या ऐसी हिदायतें जो अनुज्ञापन प्राधिकारी समय–समय पर जारी करें, आवेदक को अनुज्ञप्ति प्रदान करेगा।

उचित मूल्य की दुकान के स्वामियों की जिम्मेवारियां तथा कर्त्तव्य।

9. उचित मूल्य की दुकान के स्वामियों की जिम्मेवारियां तथा कर्तव्यों में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल होंगेः–

(i) राज्य सरकार द्वारा नियत किए गए समय के भीतर राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत थोक नामनिर्देशिती या व्यवहारी या किसी अन्य एजेंसी के पास लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की लागत जमा करवाना। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियत परचून निर्गम मूल्य पर लाभार्थी राशन कार्ड/परिवार पहचान पत्र धारकों की हकदारी के अनुसार वस्तुओं का विक्रय करना;

(ii) उचित मूल्य की दुकान में सुपुर्दगी लेने के तुरन्त बाद, पी.ओ.एस. यन्त्र में मासिक आबंटन की वस्तुएं प्राप्त करना ;

(iii) निम्नलिखित के सम्बन्ध में दैनिक आधार पर, दुकान में मुख्य स्थान पर नोटिस बोर्ड पर अद्यतन सूचना का प्रदर्शन करना :–

(क) हैल्पलाईन नम्बर ;

(ख) उचित मूल्य की दुकान के स्वामी का मोबाईल नम्बर ;

(ग) उचित मूल्य की दुकान की पहचान संख्या (12 डिजिट);

(घ) निरीक्षक या सहायक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अधिकारी या जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नियंत्रक के कार्यालयों के दूरभाष नम्बर ;

(ड़) सभी प्रवर्गों के लाभार्थियों की सूची ;

(च) वस्तुओं की हकदारी;

(छ) जारी करने का पैमाना ;

(ज) परचून निर्गम मूल्य ;

(झ) उचित मूल्य की दुकान को खोलने तथा बन्द करने का समय ;

(ञ) मास के दौरान प्राप्त वस्तुओं का स्टॉक ;

(ट) वस्तुओं का प्रारम्भिक तथा समापन स्टॉक;

(ठ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वस्तुओं की गुणवत्ता तथा मात्रा के सम्बन्ध में शिकायतों के निवारण या शिकायतें दायर करने के लिए प्राधिकारी;

(iv) लाभार्थी राशन कार्ड धारकों के रिकार्ड का रखरखाव ;

(v) कार्यालय प्रयोजन या सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम 22) या ग्राम पंचायत या नगरपालिका या नगर परिषद् या नगर निगम या सतर्कता समिति या इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किसी अन्य निकाय के लिए राज्य सरकार द्वारा यथा निर्देशित जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक या जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी या सहायक खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी या निरीक्षक, खाद्य एवं आपूर्ति या उप–निरीक्षक खाद्य एवं आपूर्ति के कार्यालय से या तो मैन्युअल रूप से या इलैक्ट्रॉनिक रूप से मांगे गए विनिर्दिष्ट दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत करना;

(vi) उचित मूल्य की दुकान के माध्यम से आपूर्ति किए जा रहे पारदर्शी डिब्बों में खाद्यान्नों के नमूनों का प्रदर्शन करना ;

(vii) निरीक्षण एजेंसी को वस्तुओं के आबंटन तथा वितरण से सम्बन्धित मैन्युअल रूप से या इलैक्ट्रॉनिक रूप से उत्पन्न पुस्तकें तथा रिकॉर्ड प्रस्तुत करना तथा ऐसी सूचना देना जो प्राधिकारी द्वारा मांगी जाए ;

(viii) नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित विहित समय के अनुसार उचित मूल्य की दुकान को खोलना तथा बन्द करना ;

(ix) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन लाभार्थी/राशन कार्ड/परिवार पहचान पत्र धारकों को उनकी हकदारी के अनुसार उचित मूल्य की दुकान का स्वामी, उसके पास स्टाक में रखी वस्तुओं की आपूर्ति से इन्कार नहीं करेगा ;

(x) उचित मूल्य की दुकान का स्वामी केवल पचास रूपए या राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर, विनिर्दिष्ट किसी फीस का भुगतान करने पर उस द्वारा अनुरक्षित रिकॉर्ड के सुसंगत उद्धरण लाभार्थी को उपलब्ध करवाएगा;

(xi) उचित मूल्य की दुकान का स्वामी वस्तुओं के वितरण के बाद राशन कार्ड नही रखेगा;

(xii) उचित मूल्य की दुकान का स्वामी तोल तथा माप के लिए केवल इलैक्ट्रॉनिक तोल मशीन का प्रयोग करेगा, जो विधिक माप–पद्धति विभाग, हरियाणा द्वारा विधिवत सत्यापित है;

(xiii) उचित मूल्य की दुकान का स्वामी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के सम्पूर्ण रिकॉर्ड को कम से कम दो वर्ष के लिए या राज्य सरकार द्वारा यथा निर्देशित समय के लिए अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा ;

(xiv) उचित मूल्य की दुकान का स्वामी, आबंटित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं, उस द्वारा पात्र उपभोक्ताओं को वितरित मात्रा तथा शेष स्टाक आदि के बारे में सतर्कता समिति के किन्हीं दो सदस्यों को प्रत्येक मास सूचना देगा अन्यथा उचित मूल्य की दुकान के स्वामी को आगामी मास के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की कोई भी आपूर्ति नहीं की जाएगी। वह पूर्व मास में आंबटित सभी वस्तुओं के सन्तोषजनक वितरण के बारे में सतर्कता समिति से "सन्तुष्टि प्रमाण–पत्र" भी प्राप्त करेगा ;

(xv) उचित मूल्य की दुकान का स्वामी केवल अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट स्थान पर या अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित स्थान पर ही वस्तुओं का भण्डार तथा विक्रय करेगा ;

(xvi) उचित मूल्य की दुकान का स्वामी लाभार्थियों से उचित सम्मान के साथ व्यवहार करेगा। वरिष्ठ नागरिकों तथा महिला लाभार्थियों को भी उचित सम्मान देगा तथा आदर करेगा ;

(xvii) पी.ओ.एस. यन्त्र को सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा तथा उसे उचित कर्मिष्ठता से चलाएगा ;

(xviii) उचित मूल्य की दुकान का स्वामी, उस द्वारा जमा करवाई गई प्रतिभूति की राशि तक की शास्ति सहित यंत्र की कीमत की सीमा तक पी.ओ.एस. यन्त्र की पूर्ण या आंशिक हानि या उस में हेर–फेर करने के लिए एकमात्र जिम्मेवार होगा ;

(xix) लाभार्थी को वितरित की गई वस्तुओं की पी.ओ.एस. यन्त्र से प्राप्त मुद्रित रसीद देगा ;

(xx) किसी भी प्राधिकृत उचित मूल्य की दुकान का स्वामी, उसकी दुकान में अनुसूचित वस्तुओं के वितरण के लिए कुटुम्ब के सदस्यों से अन्यथा किसी अन्य व्यक्ति को अनुमत नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति बेनामी के रूप में अनुसूचित वस्तुओं का वितरण करते हुए पाया जाता है, तो ऐसी दुकान का प्राधिकार, रद्द करने तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10) की धारा 6क के अधीन दुकान में उपलब्ध वस्तुओं की जब्ती करने के लिए दायी होगा तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन शास्ति के लिए भी दायी होगा ;

(xxi) उचित मूल्य की दुकान का स्वामी इलैक्ट्रॉनिक पी0ओ0एस0 यंत्र के माध्यम से लाभार्थियों का प्रमाणीकरण करने के बाद अनुसूचित वस्तुएं नहीं रखेगा;

(xxii) उचित मूल्य की दुकान का स्वामी इलैक्ट्रॉनिक पी0ओ0एस0 यंत्र के माध्यम से रसीद बनाने के लिए कोई मानक, पोटली या वजन या पत्थर नहीं रखेगा और लाभार्थियों को वस्तुओं का वितरण करने के लिए वस्तुओं को मापने हेतु किसी टिन या डिब्बों का उपयोग नहीं करेगा ;

(xxiii) कोई भी उचित मूल्य की दुकान का स्वामी, अनुसूचित वस्तुओं का विक्रय राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर, नियत दरों से अधिक कीमत पर नहीं करेगा;

(xxiv) उचित मूल्य की दुकान का स्वामी, सामाजिक अंकेक्षण के दौरान सहयोग करेगा ; तथा

(xxv) कोई भी उचित मूल्य की दुकान का स्वामी, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रिकॉर्ड में हेर–फेर नहीं करेगा, इलैक्ट्रॉनिक यंत्र को खराब नहीं करेगा, संव्यवहार से अन्यथा के लिए सिम कार्ड का प्रयोग नहीं करेगा;

(xxvi) जब कभी राज्य सरकार द्वारा वस्तुओं का गृह वितरण कार्यान्वित करने का निर्णय किया जाए तब उचित मूल्य की दुकान का स्वामी सरकार की सहायता करेगा।

व्यवहारियों की जिम्मेवारियों तथा कर्त्तव्य।

10. (1) व्यवहारी निम्नलिखित के लिए जिम्मेवार होंगे :–

(क) मास, जिससे आबंटन सम्बन्धित है, के पूर्वगामी मास में प्राधिकृत या नामांकित एजेंसी से अनिवार्य वस्तुओं को प्राप्त करने के बाद लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सम्बन्धित अनिवार्य वस्तुओं को सुरक्षित रखना ;

(ख) उचित मूल्य की दुकान के स्वामी को उसकी मांग पर तथा यथा विहित वस्तुओं की लागत के पूर्व भुगतान के अध्यधीन लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की तुरन्त आपूर्ति करना ;

(ग) राज्य सरकार या अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा, समय–समय पर, यथा विहित मैन्युअल रूप में या इलैक्ट्रॉनिक रूप में बनाए गए रजिस्टर या रिकॉर्ड का रख–रखाव करना ;

(घ) प्राधिकृत निरीक्षण अधिकारी द्वारा मांग करने पर ऐसा रिकार्ड तथा सूचना प्रस्तुत करना ;

(ड.) राज्य सरकार द्वारा यथा विहित प्रमाणित इलैक्ट्रॉनिक तोल मशीन (तराजू), बाट तथा माप रखना ;

(च) परिसर के प्रवेशद्वार के निकट कारोबार परिसर के बाहर मुख्य स्थान पर सूचना पट्ट पर निम्नलिखित सूचना प्रदर्शित करना, अर्थात्:–

(i) हैल्पलाईन नम्बर ;

(ii) दुकान की समय–सारणी ;

(iii) दैनिक आधार पर प्रारम्भिक स्टॉक, प्राप्त मात्रा, बेची गई मात्रा, अन्तिम स्टॉक;

(iv) प्रत्येक (वस्तु) का निर्गम मूल्य;

(v) अनुज्ञप्ति संख्या/स्वामी का नाम तथा मोबाईल नम्बर ;

(छ) आनुक्रमिक क्रम में सही नकदी रसीद, गेट पास तथा सूचीबद्ध वस्तुओं की दशा में, उचित मूल्य की दुकान के स्वामी को तोल पर्ची की मुद्रित प्रति उपलब्ध करवाना ;

(ज) स्टॉक में विक्रय के लिए रखे गए खाद्यान्नों के नमूने पारदर्शी पात्रों में प्रदर्शित करना ;

(झ) पचास रूपए या राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर, विहित किसी फीस का भुगतान करने पर किसी भी व्यक्ति को रिकॉर्ड के सुसंगत उद्धरण उपलब्ध करवाना;

(ञ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं का वैज्ञानिक भण्डारण करने के लिए प्रबन्ध करना;

(ट) सुनिश्चित करना कि उसके एजेंट तथा कर्मचारी अनुज्ञप्ति के सभी निबन्धनों तथा शर्तों तथा इस आदेश के उपबन्धों की पालना करते हैं ;

(ठ) राज्य सरकार द्वारा यथा निर्देशित उचित मूल्य की दुकानों के लिए आबंटन मास हेतु वस्तुओं को समय पर उठाना तथा वितरण करना;

(ड) रिकॉर्ड के उद्धरण प्राप्त करने के लिए फीस तथा समय सीमा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम 22) के उपबन्धों के अनुसार होगी।

(2) व्यवहारीः–

(क) अनुज्ञापन प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा या अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की लिखित अनुमति प्राप्त किए बिना किसी भी कार्य दिवस को कारोबार के समय के दौरान कारोबार परिसर को बन्द नहीं करेगा;

(ख) उस अनुज्ञप्तिधारी, जिसके लिए वस्तुओं की आपूर्ति की जानी है, से अन्यथा किसी व्यक्ति को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं का वितरण नहीं करेगा;

(ग) अनुज्ञप्ति में अनुज्ञात स्थान से अन्यथा किसी स्थान पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं का स्टाक या भण्डार नहीं करेगा;

(घ) अन्य अनुज्ञप्तिधारियों का रिकार्ड या रजिस्टर अपने पास नहीं रखेगा ;

(ड.) अनुज्ञप्त कारोबार परिसरों से अन्यथा किसी स्थान पर कारोबार से सम्बन्धित रिकार्ड नहीं रखेगा।

व्यवहारी तथा उचित मूल्य की दुकान के थोक या परचून केन्द्रों पर सुविधाएं तथा उनका कार्य समय।

11. व्यवहारी तथा उचित मूल्य की दुकान के स्वामी अपने कारोबार परिसरों पर निम्नलिखित अवसरंचना तथा सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रबन्ध करेंगे, अर्थात्:–

(क) भवन का उपयुक्त आकार, जिसमें कम से कम दो मास के साधारण आबंटन की सूचीबद्ध वस्तुओं की मात्रा का भण्डार किया जा सके तथा उनका वितरण लाभार्थियों को बिना किसी असुविधा के किया जा सके ;

(ख) उचित मूल्य की दुकान के लिए कम से कम क्षेत्र 150 वर्ग फुट होगा। उचित मूल्य की दुकान के सामने महिलाओं तथा पुरूषों के लिए अलग पंक्ति हेतु पर्याप्त स्थान होगा;

(ग) राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर, जारी हिदायतों के अनुसार पी.ओ.एस. यन्त्र या कोई अन्य यंत्र लगाना सुनिश्चित करना।

अवधि	समय
ग्रीष्मकाल	सुबह 8:00 बजे से 12:00 बजे तक
एक अप्रैल से 30 सितम्बर	सायँ 5:00 बजे से 8:00 बजे तक
शीतकाल	सुबह 9:00 बजे से 1:00 बजे तक
एक अक्तूबर से 31 मार्च तक	सायँ 3:00 बजे से 6:00 बजे तक

लेखों का रख–रखाव।

12. (1) व्यवहारी तथा उचित मूल्य की दुकान का स्वामी आपूर्ति की गई प्रत्येक वस्तु के लिए मैन्युअल रूप में या इलक्ट्रॉनिक रूप में बनाए गए लेखों, विक्रय या स्टाक के अलग–अलग रजिस्टर रखेगा। वह लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन प्राप्त की गई तथा निपटान की गई वस्तुओं की रसीदें या बीजक तथा ऐसे अन्य ब्यौरे, जो राज्य सरकार या अनुज्ञापन प्राधिकारी, आदेश द्वारा, इस सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट करें, का भी रिकार्ड रखेगा।

(2) व्यवहारी या उचित मूल्य की दुकान के स्वामी को लेखा पुस्तकों या पी.ओ.एस. यंत्र के माध्यम से बनाई गई ऑनलाईन विक्रय रसीदों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण हेतु, राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर, जारी हिदायतों के अनुसार ऐसे समय तक सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा।

अनुज्ञप्ति या नियंत्रण आदेश की शर्तों का उल्लंघन।

13. (1) इस आदेश के अधीन जारी अनुज्ञप्ति का कोई भी धारक, अनुज्ञप्ति के किन्हीं निबन्धनों तथा शर्तों या इस अधिनियम के अधीन जारी किन्हीं नियंत्रण आदेशों का उल्लंघन नहीं करेगा। यदि वह उक्त किन्हीं निबन्धनों या शर्तों की उल्लघंना करता है, तो किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो उसके विरूद्ध की जा सकती है, कोई भी नोटिस दिए बिना आपूर्ति तुरन्त प्रभाव से रोक दी जाएगी। यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी की सन्तुष्टि हो जाती है कि उचित मूल्य की दुकान के स्वामी ने अनुज्ञप्ति की किन्हीं शर्तों का उल्लघंन किया है या वह अपने कर्त्तव्यों का उचित रूप से पालन नहीं कर रहा है, जैसे किः–

(क) आदेश की धारा 9 में यथा परिभाषित दैनिक आधार पर दुकान में किसी प्रमुख स्थान पर सूचना पट्ट पर अद्यतन सूचना प्रदर्शित नहीं करता है;

(ख) लाभार्थी को पी0ओ0एस0 यंत्र से उत्पन्न वितरित वस्तुओं की मुद्रित रसीद नही देता है;

तो अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध नीचे वर्णित अनुसार एक या एक से अधिक कार्रवाईयाँ करेगाः–

(i) उल्लंघन की गंभीरता पर निर्भर करते हुए प्रतिभूति की जमा सम्पूर्ण राशि या उसके किसी भाग की जब्ती, जो दो हजार रूपये से कम नहीं होगी;

(ii) अनुज्ञप्ति का रद्दकरण तथा उस द्वारा जमा प्रतिभूति की राशि की जब्ती;

(iii) अधिनियम या इस आदेश के उपबन्धों के अनुसार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के विपथन या गबन तथा अनुरक्षित रिकॉर्ड को क्षतिग्रस्त करने के लिए दाण्डिक मुकदमें का पंजीकरण :

(vi) अनुज्ञापन प्राधिकारी स्पीकिंग आदेश पारित करेगाः

परन्तु यह और कि उपरोक्त वर्णित दाण्डिक कार्रवाई के सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं किया जाएगा यदि अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया जाता है।

(2) यदि किसी भी समय प्रतिभूति की राशि खण्ड 7 के उप खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट राशि से कम पड़ जाती है, तो अनुज्ञप्तिधारी, राज्य सरकार या अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा किए जाने पर, राशि पूरी करने के लिए अतिरिक्त प्रतिभूति तुरन्त जमा करवाएगा।

(3) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञप्ति के अधीन सभी बाध्यताओं की पालना करने पर, जमा प्रतिभूति या उसके ऐसे भाग की राशि, जो उपरोक्त अनुसार जब्त नहीं की गई है, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति के समापन के बाद अनुज्ञप्तिधारी को वापस कर दी जाएगी।

(4) यदि अनुज्ञप्तिधारी, वाहक या संविदाकार या व्यवहारी या लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं को उठाने या उतारने या परिवहन करने या वितरण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति या एजेंसी द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं का कोई दुर्विनियोग या विपथन या प्रतिस्थापन या नश्वरता होती है, तो इस प्रकार दुर्विनियोग या विपथन या प्रतिस्थापन या नश्वर वस्तुओं की राशि भारतीय खाद्य निगम से जारी वस्तुओं की अभिभावी दर या बाजार दर या राज्य सरकार द्वारा विहित दर, जो भी अधिक हो, के अनुसार संगणित की जाएगी। वस्तुओं के लिए इस प्रकार संगणित राशि, अनुज्ञप्तिधारी, वाहक या संविदाकार या व्यवहारी या लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं को उठाने या उतारने या परिवहन करने या वितरण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति या एजेंसी से शास्ति के रूप में प्रतिभूति से या इस आदेश के खण्ड 6 के उप–खण्ड (3) में यथा वर्णित सरकारी लेखों शीर्ष में प्राप्ति या भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।

(5) अनुज्ञापन प्राधिकारी, लिखित आदेश द्वारा उचित मूल्य की दुकान के स्वामी या व्यवहारी की अनुज्ञप्ति को निलंबित कर सकता है, यदि उचित मूल्य की दुकान के स्वामी या व्यवहारी के विरूद्ध इस आदेश के किसी उपबन्ध के अधीन कोई कार्रवाई प्रारम्भ की गई है तथा उक्त अनुज्ञापन प्राधिकारी की सन्तुष्टि हो जाती है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के स्टॉक को संभालने में व्यवहारी या उचित मूल्य की दुकान के स्वामी को अनुमत करना लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के निर्बाध संचालन के हित में नहीं है। इस उप–खण्ड के अधीन कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व, पूर्व नोटिस दिया जाना आवश्यक होगा।

व्याख्याः– इस उप–खण्ड के प्रयोजन हेतु , इस आदेश के उपबन्ध के अधीन कार्रवाईयां, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करने की तिथि से प्रारम्भ की गई समझी जाएगी।

(6) किसी अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध लम्बित जांच या अन्वेषण के साठ दिन से अनधिक अवधि के लिए किसी अनुज्ञप्ति धारी कोटा आंबटन को रोकने के लिए कोई भी पूर्व कारण बताओ नोटिस दिया जाना अपेक्षित नहीं होगा, यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी के पास विश्वास करने का कारण है कि अनुज्ञप्तिधारी ने उसे पहले आंबटित किए गए कोटे के सम्बन्ध में उचित तथा सही लेखे नहीं बनाए हैं या लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के स्टॉक का गैर–कानूनी रूप से विपथन या प्रतिस्थापन किया है या कोई अन्य अनियमितता की है।

(7) प्राधिकारी या इस निमित्त उस द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति जो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वस्तुओं के वितरण तथा व्यवहार करने में लगा है, उनके प्रतिस्थापन या मिलावट में या प्राधिकृत गोदामों से स्टॉक की चोरी या उचित मूल्य की दुकान के परिसरों से पारगमन में लिप्त नही होगा।

व्याख्याः इस खण्ड के प्रयोजन हेतु :–

(i) "विपथन" से अभिप्राय है, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन केन्द्रीय गोदामों या प्राधिकृत गोदामों से जारी की गई वस्तुओं की सुपुर्दगी का अप्राधिकृत संचलन किन्तु पात्र लाभार्थियों तक नहीं पहुंचना या सक्षम प्राधिकारी के पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना मार्ग का विपथन;

(ii) "प्रतिस्थापन" से अभिप्राय है, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन पात्र लाभार्थियों को वितरण के लिए केन्द्रीय गोदामों या प्राधिकृत गोदामों से जारी वस्तुओं का निम्न गुणवत्ता की समान वस्तुओं से प्रतिस्थापन।

दोषसिद्धि के मामले में अनुज्ञप्ति का रद्दकरण।

14. खण्ड 13 में दी गई किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई अनुज्ञप्तिधारी किन्हीं वस्तुओं के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 3 के अधीन किए गए किसी आदेश या किसी अधिनियम या आदेश जो लागू हो, के उल्लंघन के सम्बन्ध में किसी विधि न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया है, तो अनुज्ञापन प्राधिकारी, लिखित आदेश द्वारा तुरन्त उसकी अनुज्ञप्ति रद्द करेगा :

परन्तु जहां अनुज्ञप्तिधारी किसी आदेश, अपील या पुनरीक्षण में विमुक्त किया जाता है या ऐसी दोषसिद्धि अपास्त कर दी जाती है तथा जहां कोई अपील नहीं की गई है या अपील दायर करने की समय सीमा समाप्त हो गई है, तो अनुज्ञापन प्राधिकारी, ऐसे व्यक्ति, जिसकी अनुज्ञप्ति रद्द की गई है, द्वारा नवीकरण फीस या देय कोई अन्य फीस के भुगतान सहित प्ररूप 'क' में आवेदन करने पर, इस प्रकार रद्द की गई अनुज्ञप्ति में वर्णित अवधि तक ऐसे व्यक्ति को अनुज्ञप्ति पुनः जारी कर सकता है।

विवरणियां प्रस्तुत करना।

15. राज्य सरकार या निदेशक या जिले का उपायुक्त या अनुज्ञापन प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, समय–समय पर, प्ररूप ग में विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी को निर्देश दे सकता है।

अपील।

16. (1) इस आदेश के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी के रूप में डिपो धारकों के बारे जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक के किसी आदेश के विरूद्ध सभी अपीलें संबंधित जिले के उपायुक्त के सम्मुख दायर की जाएंगी। ऐसी अपीलें अनुज्ञापन प्रधिकारी के आदेश की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर दायर की जाएंगी।

(2) अनुज्ञापन प्राधिकारी के रूप में निदेशक के किसी आदेश के विरूद्ध सभी अपील अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग के सम्मुख दायर की जाएंगी। ऐसी अपीलें, अनुज्ञापन प्रधिकारी के ओदश की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर दायर की जाएंगी।

स्टॉक के निपटान के लिए निदेश करने की शक्ति।

17. जहां ,लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वस्तुओं का कोई स्टॉक रखने वाला कोई व्यक्ति या अनुज्ञप्तिधारी इस आदेश के लागू होने के पश्चात् अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं करता है या नहीं रखता है या जहां वस्तुओं का कोई स्टॉक रखने वाला कोई अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति का नवीकरण नही करवाता है या जहां उसके नवीकरण हेतु उसका आवेदन इंकार या रद्द या निलम्बित, कर दिया गया है, जैसी स्थिति हो, तो अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति को उस द्वारा रखी गई वस्तुओं के स्टॉक को निर्देश में यथा विनिर्दिष्ट ऐसी तिथि तक ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को विक्रय या अन्तरण द्वारा निपटान करने का निदेश कर सकता है तथा व्यक्ति ऐसे निदेश की पालना करेगा।

निदेश तथा मार्गदर्शन जारी करना।

18. राज्य सरकार, समय–समय पर, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दक्षता में सुधार करने तथा उसको प्रभावी बनाने के लिए तथा इस आदेश के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए ऐसे दिशा–निर्देश तथा निर्देश, जो वह उचित समझे, जारी करने के लिए सशक्त होगी।

एक उचित मूल्य की दुकान से दूसरी दुकान तक वस्तुओं की आपूर्ति का संयोजन।

19. जब किसी उचित मूल्य की दुकान की आपूर्ति निलम्बित की जाती है या उसकी अनुज्ञप्ति रद्द की जाती है या उचित मूल्य की दुकान का स्वामी उसकी मृत्यु, बीमारी या अन्य किसी वैध कारण से अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तो उस उचित मूल्य की दुकान की आपूर्ति को लाभार्थियों के हित तथा सुविधा को ध्यान में रखते हुए निकटतम उचित मूल्य की दुकान के साथ जोड़ा जाएगा। वस्तुओं का शेष स्टॉक भी उस उचित मूल्य की दुकान को स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जिसमें आपूर्ति सम्मिलित की गई है। शेष स्टॉक के रिकार्ड तथा दस्तावेजों में सुसंगत प्रविष्टियों का उस उचित मूल्य की दुकान के स्वामी, जिसके साथ आपूर्ति जोड़ी गई है, द्वारा रख–रखाव किया जाएगा। सम्बन्धित उपकरणों सहित पी.ओ.एस. यन्त्र तथा रिकॉर्ड भी, सम्बन्धित उप–निरीक्षक, खाद्य एवं आपूर्ति या निरीक्षक, खाद्य एवं आपूर्ति या सहायक खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी की उपस्थिति में, जोड़ी गई उचित मूल्य की दुकान को सौंप दिया जाएगा।

राशन कार्ड जारी करना।

20. (1) राज्य सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन लाभार्थियों को विशेष कागज या डाटा आधारित इलैक्ट्रॉनिक राशन कार्ड जारी करेगी। राशन कार्ड ऐसी प्रक्रिया अपनाते हुए जारी किए जाएंगे जो राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर, विहित किए जाएः

परन्तु उन व्यक्तियों को राशन कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे, जो भारत के नागरिक न हों तथा जो राज्य के क्षेत्र, जिसके लिए वे राशन कार्ड हेतु आवेदन कर रहे हैं, के निवासी या अधिवासी न हों। आवेदक को राशन कार्ड के आवेदन के साथ वैध पहचान का सबूत प्रस्तुत करना होगा।

(2) कोई भी व्यक्ति,–

(i) राशन कार्ड के लिए आवेदन नहीं करेगा या प्राप्त नहीं करेगा, यदि उसको या उसके कुटुम्ब के सदस्य के पक्ष में राशन कार्ड में शामिल उसके नाम सहित राशन कार्ड पहले जारी किया गया है;

(ii) कुटुम्ब के लिए राशन कार्ड हेतु आवेदन करते समय गलत विवरण या सूचना नहीं देगा;

(iii) राशन कार्ड में किन्हीं प्रविष्टियों में जानबूझकर हेर–फेर करने या नष्ट करने, विरूपित करने या विरूपित करने की अनुमति नहीं देगा;

(iv) उसे जारी किए गए राशन कार्ड को किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित नहीं करेगा तथा इस आदेश के उपबन्धों के अधीन तथा के अनुसार के सिवाए ऐसे राशन कार्ड का प्रयोग या निपटान या प्राप्त नहीं करेगा।

(3) इस आदेश के लागू होने की तिथि से पूर्व जारी किए गए राशन कार्ड, ऐसी तिथि तक वैध रहेंगे, जो राज्य सरकार विनिश्चित करें।

(4) राशन कार्ड पर राशन कार्ड धारक का नाम तथा पता, कुटुम्ब के सदस्यों के नाम, आयु तथा कुटुम्ब के मुखिया के साथ उनका सम्बन्ध तथा उसके अवस्थित स्थान के पते सहित उचित मूल्य की दुकान का नाम तथा संख्या, जहां से राशन कार्ड धारक वस्तुओं की खरीद करने के लिए हकदार है, तथा ऐसे अन्य ब्यौरे, जो राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किए जाएं, स्पष्ट रूप से अंकित करने होंगे।

(5) कोई भी व्यक्ति, कुटुम्ब, जिसके लिए राशन कार्ड जारी किया गया है, का सदस्य न होते हुए, किसी अन्य व्यक्ति का राशन कार्ड प्राप्त नहीं करेगा, अपने पास नहीं रखेगा या उसका प्रयोग नहीं करेगा।

(6) इस आदेश ने अधीन प्रत्येक राशन कार्ड राज्य सरकार की सम्पति होगी किन्तु व्यक्ति, जिसको राशन कार्ड जारी किया गया है, उसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जिम्मेवार होगा।

(7) यदि कोई राशन कार्ड विरूपित, गुम या नष्ट हो जाता है, तो प्राधिकृत अधिकारी, ऐसी जांच, जो वह उचित समझे, करने के बाद, ऐसी फीस, जो विनिर्दिष्ट की जाए, का भुगतान करने पर उसके स्थान पर ऑनलाईन नया राशन कार्ड जारी करेगा।

(8) राशन कार्ड जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी, किसी राशन कार्ड को वापिस लेने या रद्द करने के लिए सक्षम होगा, यदि यह पाया जाता है कि राशन कार्ड का धारक, राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं है तथा प्रत्येक ऐसे मामले में, राशन कार्ड का धारक, अनुमोदन या रद्दकरण, जैसी भी स्थिति हो, के लिए मांग करने पर राशन कार्ड को समर्पित करने के लिए बाध्य होगा।

(9) अन्त्योदय अन्न योजना/गरीबी रेखा से नीचे/अन्य प्राथमिक कुटुम्ब प्रवर्ग के राशन कार्ड, सर्वेक्षण के मूल पते से किसी अन्य पते पर अन्तरित नहीं किए जाएंगे।

राशन कार्ड या वस्तुओं के दुरूपयोग के विरूद्व प्रतिषेध।

21. (1) कोई भी व्यक्ति,–

(i) राशन कार्ड के लिए बेईमानी से आवेदन नहीं करेगा या प्राप्त नहीं करेगा, यदि वह जानता है या उसके पास विश्वास करने का कारण है कि किसी अन्य कुटुम्ब को जारी किए गए किसी अन्य राशन कार्ड में उसका नाम पहले से ही शामिल है;

(ii) मिथ्या सूचना देते हुए राशन कार्ड प्राप्त नहीं करेगा;

(iii) उसे जारी किए गए राशन कार्ड में विधिपूर्वक प्राधिकार के बिना हेर–फेर नहीं करेगा या नष्ट नहीं करेगा ;

(iv) उसके कुटुम्ब के उपभोग से अन्यथा के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन दी गई वस्तुओं का प्रयोग नहीं करेगा ;

(v) रिसाईकलिंग या गुणवत्ता परिवर्तन, आदान–प्रदान इत्यादि के लिए उचित मूल्य की दुकान के स्वामी या व्यवहारी या अन्य व्यक्ति की मिलिभगत से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन प्राप्त वस्तुओं की पुनः बिक्री का सहारा नहीं लेगा;

(vi) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आपूर्ति की गई या आपूर्ति किए जाने के लिए आशयित वस्तुएं राशन कार्ड धारक से या उचित मूल्य की दुकान के स्वामी या व्यवहारी या किसी बिचौलिए या अन्य स्रोत से खरीद नहीं करेगा। अन्यथा, ऐसी उचित मूल्य की दुकान का स्वामी या व्यवहारी या बिचौलिया या शामिल अन्य व्यक्ति, दाण्डिक कार्रवाई तथा ऐसी शास्ति, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियत की जाए, के अधिरोपण के लिए दायी होगा।

(2) यदि कोई राशन कार्ड धारक लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन जारी की गई वस्तुओं का दुरूपयोग करता हुआ पाया जाता है, तो वह उसके राशन कार्ड के रद्दकरण के अतिरिक्त दाण्डिक कार्रवाई के लिए भी दायी होगा।

(3) यदि कोई व्यक्ति लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आपूर्ति किए गए तथा आपूर्ति किए जाने के लिए आशयित खाद्यान्न की खरीद, विक्रय, रिसाईकलिंग, विपथन या इस आदेश में निषिध कोई अन्य कार्य करने में शामिल पाया जाता है, तो वह दाण्डिक कार्रवाई या ऐसी शास्ति, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियत की जाए, के अधिरोपण या दोनों के लिए दायी होगा ।

प्रवेश, तलाशी तथा जब्ती इत्यादि की शक्ति।

22. (1) अनुज्ञापन प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, जो उप–निरीक्षक खाद्य एवं आपूर्ति की पदवी से नीचे का न हो, ऐसी सहायता, यदि कोई हो, जो वह उचित समझे,–

(i) स्वामी, अधिभोगी या स्थान, परिसर, वाहन या पोत के प्रभारी किसी व्यक्ति, जिसके बारे में उसके पास विश्वास करने का कारण है कि उसने इस आदेश के उपबन्धों या उसके अधीन जारी किसी अनुज्ञप्ति की शर्तों का कोई उल्लंघन किया है, किया जा रहा है या लगभग किया जाने वाला है, से ऐसे उल्लंघन से सम्बन्धित संव्यवहार दर्शाने वाली कोई पुस्तक, लेखे या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है;

(ii) किसी स्थान, परिसर, वाहन या पोत, जिसमें उसके पास विश्वास का कारण है कि इस आदेश के उपबन्धों या इसके अधीन जारी की गई किसी अनुज्ञप्ति की शर्तो का कोई उल्लंघन किया गया है, किया जा रहा है या लगभग किया जाने वाला है, में प्रवेश कर सकता है, निरीक्षण कर सकता है, को तोड़, खोल सकता है;

(iii) ऐसे उल्लंघन से सम्बन्धित संव्यवहार दर्शाने वाले किसी दस्तावेज, जो उसके सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है, से उद्धरण या प्रतियां ले सकता है ;

(iv) किसी ऐसे परिसर में पाई गई सभी या किन्हीं वस्तुओं के वजन का परीक्षण कर सकता है या परीक्षित करवा सकता है;

(v) इस आदेश के उपबन्धों या इसके अधीन जारी की गई किसी अनुज्ञप्ति की शर्तों के उल्लंघन में वस्तुओं के स्टॉक तथा कथित वस्तुओं के वहन में प्रयुक्त पैकेट, कवरिंग, पशु, वाहन, पोत या अन्य वाहनों की तलाशी ले सकता है, जब्त कर सकता है तथा हटा सकता है तथा उसके बाद इस प्रकार जब्त की गई वस्तुओं तथा पैकेटों, कवरिंग, पशु, वाहन, पोत या किसी अन्य वाहन को न्यायालय में प्रस्तुत करने तथा ऐसी लम्बित प्रस्तुति के दौरान उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए आवश्यक सभी उपाय कर सकता है या करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है;

(2) तलाशी तथा जब्ती से सम्बन्धित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2) की धारा 100 के उपबन्ध, जहां तक सम्भव हों, इस खण्ड के अधीन तलाशी तथा जब्ती को लागू होंगे।

(3) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 20) के अधीन नियुक्त सामाजिक अंकेक्षण तथा सतर्कता समिति की टीम या सदस्य भी उचित मूल्य की दुकान तथा उसके रिकार्ड का निरीक्षण करने के लिए सशक्त है।

कार्ड रखने, मिथ्या प्रविष्टियां करने या स्टाक के विपंथन करने के लिए शास्तियां।

23. इस आदेश में दी गई किसी बात के होते हुए भी,–

(क) यदि कोई उचित मूल्य की दुकान का स्वामी राशन कार्ड को अपने कब्जे में रखता हुआ या धोखे से अनुसूचित वस्तुएं प्राप्त करता हुआ पाया जाता है, तो ऐसी उचित मूल्य की दुकान का स्वामी, इस आदेश के खण्ड 13 (4) में यथा वर्णित सभी वस्तुओं की राशि का भुगतान करने के लिए दायी होगा मानो सम्बन्धित उचित मूल्य की दुकान के स्वामी को प्राधिकार जारी करने की तिथि से ऐसे राशन कार्ड पर आपूर्ति की गई है या ऐसे राशन कार्ड को जारी करने की तिथि से प्राप्त की गई है, जो भी बाद में हो ;

(ख) यदि कोई उचित मूल्य की दुकान का स्वामी बाद में फर्जी प्रविष्टियां या ऐसे उचित मूल्य की दुकान के स्वामी के पास पहले ही उपलब्ध अधिक स्टॉक को पूरा करने के विचार से अनुसूचित वस्तुओं का वितरण, स्टॉक का विपथन करता है, तो वह सम्बन्धित उचित मूल्य की दुकान के स्वामी को अनुज्ञप्ति जारी करने की तिथि या ऐसा राशन कार्ड जारी करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से इस आदेश के खण्ड 13 (4) में यथा वर्णित सभी वस्तुओं की राशि का भुगतान करने के लिए दायी होगा ;

(ग) यदि कोई उचित मूल्य की दुकान का स्वामी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस स्टॉक को पूर्णतः या भागतः विपथन करता है, तो स्वामी इस आदेश के खण्ड 13 (4) में यथा वर्णित सभी वस्तुओं की राशि का भुगतान करने के लिए दायी होगा।

उचित मूल्य की दुकान का स्वामी अनुज्ञप्ति के रद्दकरण या प्रतिभूति की जब्ती या दोनों के लिए भी दायी होगा। उपरोक्त के अतिरिक्त वह आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10) की धारा 7 के अधीन दण्ड के लिए भी दायी हो सकता है।

वितरण की प्रक्रिया में बाधा।

24. (1) उचित मूल्य की दुकान का स्वामी या राशन कार्ड धारक किसी भी व्यक्ति को अधिसूचित वस्तु आशयित लाभार्थी के पास पहुंचने तक किसी भी स्तर पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली या सरकार की किन्हीं अन्य स्कीमों के अधीन अधिसूचित वस्तुओं के निर्बाध वितरण की प्रक्रिया में कोई बाधा या हस्तक्षेप किए जाने के लिए अनुमत नहीं होगा। ऐसी प्रक्रिया में बाधा या हस्तक्षेप करने के ऐसे किसी प्रयास को दुष्प्रेरण के रूप में समझा जाएगा और इस आदेश की उल्लंघना समझी जाएगी, जिसके द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय 10) की धारा 8 के अधीन अपराध किया गया है।

(2) किसी प्राधिकृत उचित मूल्य की दुकान का स्वामी या कोई अन्य व्यक्ति, जो वितरण की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करता है या इस आदेश के किन्हीं उपबन्धों या अनुज्ञप्ति के निबन्धनों तथा शर्तों या राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघन को अवप्रेरित करता है, तो उसे निरीक्षण प्राधिकारी से रिपोर्ट की प्राप्ति पर सम्बन्धित स्टेशन हाऊस अधिकारी द्वारा अभियोजित किया जाएगा।

दस्तावेजों की सुपुर्दगी तथा कतिपय सूचना देने की बाध्यताएं।

25. प्रत्येक प्राधिकृत उचित मूल्य की दुकान का स्वामी, जब इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इस प्रकार अपेक्षित हो :–

(क) राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार या इस आदेश के प्रयोजन के लिए सभी राशन कार्ड तथा एकत्रित अन्य दस्तावेज प्रदान करेगा;

(ख) यथा अपेक्षित अनुसूचित वस्तुओं के बारे में उनके लेन–देन तथा स्टॉक से सम्बन्धित ऐसे ब्योरे प्रस्तुत करेगा।

सामाजिक अंकेक्षण।

26. ग्रामीण विकास विभाग, हरियाणा तथा शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा राज्य सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शनों के अनुसार उत्तदायित्वता तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सामूहिक रूप से निगरानी तथा मूल्यांकन करेंगे। उपायुक्त या अनुज्ञापन प्राधिकारी, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट के सुझावों पर कार्रवाई करेगा। यदि, उचित मूल्य की दुकान के स्वामी द्वारा इस आदेश या अनुसूचित वस्तुओं का वितरण नहीं करने या अनुचित वितरण का कोई उल्लंघन सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट में पाया जाता है, तो अनुज्ञापन प्राधिकारी, इस आदेश के उपबन्धों के अनुसार उचित मूल्य की दुकान के स्वामियों के विरूद्व कार्रवाई कर सकता है।

बेनामी व्यवहारिता का निषेध।

27. कोई व्यक्ति, जिसके पास उसके नाम से कोई अनुज्ञप्ति नहीं है, प्रतिपुरूष या बेनामी उचित मूल्य की दुकान के रूप में या दूसरे व्यक्ति, समूह, सहकारी सोसाईटी या गैर सरकारी संगठन को प्रदान की गई अनुज्ञप्ति का प्रयोग करते हुए वस्तुतः स्वामी के रूप में दुकान का संचालन नहीं करेगा।

छूट।

28. राज्य सरकार या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, विशेष या साधारण आदेश से तथा ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो आदेश में विनिदिष्ट की जाएं, इस आदेश के सभी या किन्हीं उपबन्धों के प्रचालन से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के प्रवर्ग को छूट दे सकता है।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

29. हरियाणा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (अनुज्ञप्ति तथा नियंत्रण) आदेश, 2009, इसके द्वारा, निरसित किया जाता हैं :

परन्तु ऐसा निरसन निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगा,–

(क) इस खण्ड के अधीन निरसित किसी आदेश का पूर्व प्रचालन (जिसे, इसमें, इसके बाद "निरसित आदेश" या उसमें विधिवत की गई किसी बात या उससे आक्रान्त के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) ; या

(ख) निरसित आदेश के अधीन अर्जित, प्रोदभूत या उपगत कोई अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व; या

(ग) निरसित आदेश के अधीन किए गए किसी अपराध के सम्बन्ध में उपगत किसी शास्ति, जब्ती या दण्ड; या

(घ) पूर्वोक्त अनुसार ऐसे किसी अधिकार, विषेाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, जब्ती या दण्ड के सम्बन्ध में किसी अन्वेषण, विधिक कार्रवाई या उपाय; तथा ऐसा कोई अन्वेषण, विधिक कार्रवाइ या उपाय, संस्थित किया जा सकता है, जारी रखा जा सकता है या लागू किया जा सकता है तथा ऐसी कोई शास्ति, जब्ती या दण्ड अधिरोपित किया जा सकता है मानो यह आदेश जारी ही नहीं किया गया था :

परन्तु यह और कि इस खण्ड में वर्णित किसी बात के होते हुए भी, अनुज्ञप्ति जारी करने या अनुज्ञप्ति का नवीकरण करने के लिए सभी आवेदन, जो हरियाणा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (अनुज्ञप्ति तथा नियंत्रण) आदेश, 2009 के उपबन्धों के अधीन दायर किए गए हैं, तथा जो इस आदेश के लागू होने की तिथि को अन्तिम रूप से नहीं निपटाए गए हैं, इस आदेश के उपबन्धों के अनुसार निपटाए जाएंगे।

प्ररूप क

{देखिए खण्ड 3 (2)}

{हरियाणा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (अनुज्ञप्ति तथा नियन्त्रण) आदेश, 2022}

अनुज्ञप्ति (उचित मूल्य की दुकान/व्यवहारी) प्रदान करने/नवीकरण/पुनः जारी करने/अनुज्ञप्ति (उचित मूल्य की दुकान/व्यवहारी) को प्रतिलिपि जारी करने के लिए आवेदन।

1. आवेदक का नाम :

(क) पिता/पति का नाम :

(ख) क्या वह एसिड अटैक पीड़िता/विधवा/अनुसूचित जाति पुरूष/पिछड़ी जाति पुरूष/शारीरिक रूप से विकलांग है:

2. आवेदक का व्यवसाय :

3. आवेदक का निवास स्थान :

4. सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तु/वस्तुओं का नाम जिनका आवेदक व्यापार करना चाहता है:

5. (क) उस स्थान का ब्यौरा, जहां आवेदक, व्यवहारी/उचित मूल्य की दुकान के रूप में कार्य करना चाहता है:

(ख) कारोबार का स्थानः

प्लाट संख्या : गली/पता————————————

खाता संख्या : ————————————————

मोजा पिन कोड ————————————

जिला ————————————————

सीमा का वर्णन :

पूर्व की ओर.————

उत्तर की ओर.————

पश्चिम की ओर.————

दक्षिण की ओर.————

(ग) परिसरों की किस्म :

(i) पक्की/कच्ची इमारत :

(ii) छत (कंकरीट, अदह चदद्र इत्यादि):

(iii) चारदीवारीः हां/नहीः

(घ) परिसरों का स्वामित्व :

अपना/किराए पर

यदि किराए पर है, तो स्वामी के साथ किए गए करार का ब्यौरा।

6. क्या आवेदक उचित मूल्य की दुकान/व्यवहारी के रूप में कार्य करना चाहता है ?

7. क्या आवेदक के पास पहले किसी व्यवसाय की अनुज्ञप्ति थी ?

(यदि हां, उसके निलम्बन या रद्दकरण, यदि कोई हो, सहित ब्यौरा दे):

8. पिछले तीन वर्ष के दौरान वार्षिक रूप से सम्भाली जाने वाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रत्येक वस्तु की मात्राः

9. चालू वर्ष के दौरान सम्भाली जाने वाली प्रत्येक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की मात्राः

10. आवेदन के पूर्ववर्त्ती दो वर्ष में भुगतान किया गया आयकर (अलग से सूचित किया जाना है):

(आयकर समाशोधन प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना है)

11. (क) आवेदन की तिथि को आवेदक के कब्जे में प्रत्येक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की मात्रा :

(ख) स्थान का पूरा पता जहां आवश्यक वस्तुओं का भण्डार किया जाना प्रस्तावित है :

मैं, घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि उपरोक्त विनिर्दिष्ट प्रत्येक आवश्यक वस्तुओं की मात्रा इस दिन मेरे कब्जे में हैं तथा उपरोक्त निर्दिष्ट स्थान पर रखी गई हैं :

मैंने, हरियाणा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (अनुज्ञप्ति तथा नियन्त्रण) आदेश, 2022 से संलग्न प्ररूप ख में दी गई अनुज्ञप्ति की शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है तथा मैं उसका पालन करने के लिए सहमत हूँ :

मैं, घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि आवेदन में मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए आकड़े/सूचना सत्य हैं तथा मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार सही हैं।

(क) मैंने इस जिले में ऐसी अनुज्ञप्ति के लिए पहले कोई आवेदन नहीं दिया है।

(ख) मैंने ———————— के लिए ———————————— को इस जिले में ऐसी अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन दिया है तथा ———————————— को मुझे अनुज्ञप्ति प्रदान की गई थी/नहीं की गई थी।

(ग) मैं, इसके द्वारा अनुज्ञप्ति संख्या ————दिनांक ————के नवीकरण के लिए आवेदन करता हूँ।

(घ) मैं इसके द्वारा अनुज्ञप्ति संख्या ————दिनांक ———की दूसरी प्रति जारी करने के लिए आवेदन करता हूँ।

(ड.) मैं, इसके द्वारा, अनुज्ञप्ति संख्या ——दिनांक ————को पुनः जारी के लिए आवेदन करता हूँ।

स्थान :————————

दिनांक :———————— आवेदक के हस्ताक्षर

प्ररूप ख

{देखिए खण्ड 5(6) तथा 8 (2)}

हरियाणा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (अनुज्ञप्ति तथा नियन्त्रण) आदेश 2022

उचित मूल्य की दुकान के स्वामी/व्यवहारी के रूप में प्रचालन के लिए अनुज्ञप्ति

———————————————————————————————————————

1. हरियाणा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (अनुज्ञप्ति तथा नियन्त्रण) आदेश, 2022 के उपबन्धों के अध्यधीन तथा इस अनुज्ञप्ति के निबन्धनों तथा शर्तों के अनुसार मैसेर्ज ..... को इसके द्वारा, नीचे वर्णित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के परचुनिया/थोक विक्रेता/उप–थोक विक्रेता के रूप प्रचालन करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है :–

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

2. (क) अनुज्ञप्तिधारी निम्नलिखित स्थानों पर पूर्वोक्त कारोबार अर्थात केवल आवश्यक वस्तुओं का भण्डार तथा विक्रय करेगा :–

परिसर के ब्यौरे :————————————

भवन :————————————

गली/पता :————————————

सीमाओं का वर्णन :————————————

पूर्व :————————————

पश्चिम :————————————

उत्तर :————————————

दक्षिण :————————————

भूमि का स्वामी:————————————

(ख) वह प्राधिकृत व्यक्तियों/डिपो से आवश्यक वस्तुएं खरीद सकता है तथा उनका उपरोक्त मद (i) के अधीन विनिर्दिष्ट स्थानों पर विक्रय के लिए भण्डार कर सकता है।

टिप्पण :– यदि अनुज्ञप्तिधारी अपनी आवश्यक वस्तुओं का भण्डार ऊपर विनिर्दिष्ट स्थानों से भिन्न किसी अन्य स्थान पर करना चाहता है, तो वह अनुज्ञप्ति प्राधिकारी से इसकी लिखित में पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा।

3. अनुज्ञप्ति निम्नलिखित निबन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन है :–

(क) अनुज्ञप्तिधारी के पास दो मास के सम्पूर्ण आबंटन के लिए पर्याप्त भण्डारण स्थल होगा तथा वह यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय करेगा कि उसके द्वारा भण्डारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं का रख–रखाव उचित प्रकार से किया गया है तथा खाद्यानों तथा चीनी के मामले में भूमि की सीलन, वर्षा, कीड़े, कृन्तक, पक्षियों, अग्नि इत्यादि के कारण हानि तथा ऐसे अन्य कारणों से बचाया जाता है। भूमि की सीलन से होने वाली हानि से बचने के लिए उपयुक्त निभार का प्रयोग किया जाएगा तथा खाद्यानों को, इस प्रयोजन के लिए ऐसे व्यक्ति, जिसने इस संबंध में व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, द्वारा अनुमोदित रसायन से धुम्रीकृत किया जाएगा। अनुप्तिधारी यह भी सुनिश्चित करेगा कि सामग्री जिससे खाद्यानों तथा चीनी को संदूषित करने की सम्भावना है का भण्डारण उन्हीं के समरूप जैसे दूषित खाद्यान्नों तथा चीनी का भण्डारण उन्हीं के समरूप गोदामों में या खाद्यानों तथा चीनी के ठीक सान्निधय में उसी गोदाम में नहीं करेगा।

(ख) दुकान के बाहर प्रवेश द्वार के समीप कारोबार, स्टॉक, मूल्य तथा हकदारी की घोषणा का प्रदर्शन किया जाना है।

(ग) उचित मूल्य की दुकान का स्वामी/व्यवहारी, दुकान का संचालन स्वयं करेगा। लेखें प्रतिदिन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्वयं प्रमाणित किए जाने चाहिए।

(घ) यदि किसी विशेष दिन (दिनों) के लिए कारोबार के स्थान को बन्द किया जाना है, तो उसे अनुज्ञापन प्राधिकारी से लिखित में पूर्व में अनुमति प्राप्त की जानी है।

(ड) उचित मूल्य की दुकान का स्वामी/व्यवहारी को प्रमाणित तोल तथा माप रखने होंगे तथा कारोबार के लिए अपेक्षित अग्नि सुरक्षा समाशोधन तथा अन्य वैधानिक समाशोधन प्राप्त करने होंगे।

(च) अनुज्ञप्तिधारी, ऐसी मात्रा में आरक्षित भण्डार रखेगा जैसा अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निर्देशित किया जाए।

(छ) अनुज्ञप्तिधारी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के ऑनलाइन वितरण तथा उचित माप तोल के लिए सरकार द्वारा निदेशित अनुसार पी.ओ.एस. यंत्र, विद्युत माप तोल उपकरण या कोई अन्य यंत्र स्थापित करेगा।

(ज) "सेवा का अधिकार" बोर्ड को कारोबार परिसर में प्रमुख रूप से प्रदर्शित करेगा।

(झ) अनुज्ञप्तिधारी, खण्ड 10, 11 में तथा आदेश के अन्य उपबन्धों के अधीन बताए गए अपने दायित्वों का अति सावधान रूप से अनुपालन करेगा।

4. अनुज्ञप्तिधारी, हरियाणा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (अनुज्ञप्ति तथा नियन्त्रण) आदेश, 2022 के खण्ड 12 में यथा विनिर्दिष्ट अपने लेखों को प्रतिदिन पूर्ण करेगा जो उसके पास होगें। रजिस्टर में कोई लिप्तलेखन नहीं किया जाएगा, यदि सुधार जरूरी है, तो पुरानी प्रविष्टि काट दी जाएगी तथा नई प्रविष्टि दर्ज की जाए और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आद्यक्षरित की जाएगी।

5. अनुज्ञप्तिधारी, हरियाणा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (अनुज्ञप्ति तथा नियंत्रण), आदेश 2022 के खण्ड 15 में यथा विनिर्दिष्ट रिपोर्ट तथा विवरणियां प्रस्तुत करेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी या इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर वह अपने कारोबार से संबंधित ऐसी सूचना सही रूप में प्रस्तुत करेगा।

6. अनुज्ञप्तिधारी, हरियाणा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (अनुज्ञप्ति तथा नियन्त्रण) आदेश, 2022 या आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10) या तत्समय लागू उक्त आवश्यक वस्तुओं से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन जारी आवश्यक वस्तुओं से सम्बन्धित किसी अन्य आदेश के उपबन्धों की उल्लंघना नहीं करेगा।

7. अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञापन प्राधिकारी या उस द्वारा या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को आवश्यक वस्तुओं के भण्डारण, विक्रय या खरीद तथा जांच के लिए ऐसी वस्तुओं के नमुने लेने के लिए उसके द्वारा प्रयुक्त किसी दुकान, गोदाम या अन्य स्थान पर उसके स्टॉक लेखों के निरीक्षण के लिए युक्तियुक्त समय पर सभी सुविधाएं देगा।

8. अनुज्ञप्तिधारी अपने कारोबार परिसरों के प्रवेश द्वार या किसी अन्य प्रमुख स्थान पर, उसके द्वारा विक्रय के लिए रखी गई आवश्यक वस्तओं की मूल्य सूची तथा स्टॉक की स्थिति प्रदर्शित करेगा। ऐसी सूची संबंधित परिक्षेत्र की मुख्य भाषा में स्पष्ट रूप से लिखी जाएगी। बोर्ड को ऐसी रीति में दीवार पर चित्रित किया जाएगा या उस पर सुरक्षित रूप में चिपकाया जाएगा कि वह दीवार पर टूटने/नष्ट हुए बिना हटाया नहीं जा सकेगा। बोर्ड का न्यूनतम निम्न परिमाप अनुसार होगा :

व्यवहारी	:	4 फुट X 6 फुट
उचित मूल्य की दुकान	:	3 फुट X 4 फुट

9. (क) अनुज्ञप्तिधारी उचित मूल्य की दुकान का स्वामी/व्यवहारी, जब इस निमित्त विशेष रूप से प्राप्त छूट के सिवाए, प्रत्येक व्यक्ति को, जिससे आवश्यक वस्तुएं खरीदी/विक्रय की गई हैं, सही रसीद/ऑनलाइन स्लीप बीजक या मीमो, जैसी भी स्थिति हो, उसमें उसका अपना नाम, पता तथा अनुज्ञप्ति संख्या देते हुए जारी करेगा तथा उस व्यक्ति का नाम, पता, जिसको उसके हस्ताक्षर सहित खरीद/विक्रय की गई है, संव्यवहार की तिथि सहित, आवश्यक वस्तुओं का नाम, खरीद/विक्रय की गई मात्रा, प्रति क्विंटल/किलो लीटर/किलो ग्राम/लीटर, जैसी भी स्थिति हो, की दर, प्रत्येक वस्तु के लिए भुगतान/प्राप्त किया गया कुल मूल्य, भुगतान/प्राप्त की गई राशि के कुल जोड़ सहित, जारी किया जाएगा तथा अनुज्ञापन प्राधिकारी या इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा मांग करने पर निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराने हेतु उसके रिकार्ड में उसकी प्रतिलिपि रखेगा। कैश मीमो क्रमानुसार संख्यांकित होगी तथा क्रमिक अनुसार जारी की जाएगी।

(ख) अनुज्ञप्तिधारी, सरकार/अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर यथा निर्देशित इलैक्ट्रोनिक/मैन्युअल रूप में वितरण की प्रक्रिया का पालन करेगा।

10. अनुज्ञप्तिधारी, किसी निर्देश का भी पालन करेगा जो आवश्यक वस्तुओं की खरीद, बिक्री तथा भण्डारण के सम्बन्ध में राज्य सरकार या अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा उसको दिए जाएं।

11. नवीकरण के लिए किसी आवेदन के साथ मूल अनुज्ञप्ति संलग्न की जाएगी।

12. अनुज्ञप्ति 31 मार्च, ———————— तक वैध होगी।

अनुज्ञापन अधिकारी,

स्थान :————————

दिनांक :————————

अनुज्ञप्तिधारी के हस्ताक्षर

प्ररूप ग

{देखिए खण्ड 15}

{हरियाणा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (अनुज्ञप्ति तथा नियन्त्रण) आदेश 2022}

1. मास समाप्ति के लिए विवरणी :
2. नाम :
3. पता :
4. अनुज्ञप्ति की संख्या :
5. वाहन की पंजीकरण संख्या तथा वर्णन किया जिस द्वारा स्टॉक प्राप्त किया गया :
6. गोदाम के ब्यौरे, जहां पर स्टॉक भण्डार किया गया :
7. मास के प्रारम्भ में स्टॉक (प्रत्येक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के आंकडे अलग से सूचित किए जाएंगे) :
8. मास के दौरान खरीद की गई वस्तुओं की मात्रा (प्रत्येक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के आंकडे अलग से सूचित किए जाएंगे):
9. मास के दौरान बिक्री की गई वस्तुओं की मात्रा (प्रत्येक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के आंकडे अलग से सूचित किए जाएंगे):
10. मास के अन्त में वस्तुओं का स्टॉक (प्रत्येक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के आंकडे अलग से सूचित किए जाएंगे):

स्थान ——————————

दिनांक ——————————

अनुज्ञप्तिधारी के हस्ताक्षर

अंकुर गुप्ता,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ।

चण्डीगढः
दिनांक 1 अगस्त, 2022.

HARYANA GOVERNMENT

FOOD, CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

Order

The 1st August, 2022

No. FG-1-2022/13137.— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (Central Act 10 of 1955), read with Government of India, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Order GSR No. 630(E), dated the 31st August, 2001 read with para 5 of annexe to the Public Distribution System Control Order, 2001 and keeping in view the Targeted Public Distribution System(Control) Order,2015, the Governor of Haryana hereby makes the following Order regulating the sale and distribution of essential commodities, namely:-

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Order may be called the Haryana Targeted Public Distribution System (Licensing and Control) Order, 2022.

(2) It extends to the whole of the State of Haryana.

(3) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette

Definitions.

2. (1) In this Order, unless the context otherwise requires,-

(a) "Aadhar Card" means the unique ID number issued by the Unique Identification Authority of India;

(b) "Above Poverty Line Family" means the family which is Above Poverty Line and not included in any beneficiary list issued by Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department, Central or State Government from time to time;

(c) "Act" means the Essential Commodities Act, 1955 (Central Act 10 of 1955);

(d) "Additional Chief Secretary" means Additional Chief Secretary to Government, Haryana, Food, Civil Supplies & Consumer Affair Department;

(e) "allocation month" means the month for which foodgrains are allocated by the Central Government and the State Government for distribution under the Targeted Public Distribution System;

(f) "Antyodaya Anna Yojna" means the scheme by the said name launched by the Central Government on the 25th day of December, 2000 and as modified from time to time;

(g) "Antyodaya Households" means those poorest families amongst the Below Poverty Line Families as identified by the Citizen resource Information Department (CRID) or any other Department authorized by the State Government and entitled to receive listed commodities under the Antyodaya Anna Yojana;

(h) "appellate authority" means any authority appointed by the State Government to exercise the powers of the appellate authority under this Order;

(i) "authority" means an officer not below the rank of Sub Inspector, Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department, Haryana;

(j) "Below Poverty Line Families" means those families who have been so identified by the Rural Development or Urban Development Departments or any other department authorized specifically in this regard by the State Government;

(k) "biometric authentication" means establishing an individual's identity by means of his biometric feature as recorded by the Unique Identification Authority of India;

(l) "commodity" means commodity allocated by the State Government or the Central Government for distribution amongst beneficiaries (ration card holders/Parivar Pehchan Patra holders-PPP) through the Targeted Public Distribution System under National Food Security Act, 2013 (central Act 20 of 2013);

(m) "contractor" means any person or legal person or firm or company appointed by the wholesale nominee or department or dealer for lifting and supplying items under the Targeted Public Distribution System to door step of Fair Price Shop;

(n) "dealer" means any person or legal person or firm or company or a body who procures, stores and supplies any Targeted Public Distribution System item to Fair Price Shop Owners, authorized by the State Government or any authority on its behalf;

(o) "department" means the Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department Haryana;

(p) "Director" means the Director, Food Civil Supplies and Consumer Affair Department Haryana;

(q) "District Grievance Redressal Officer" means an officer appointed or designated by the State Government under sub-section(1) of section 15 of the National Food Security Act, 2013 (Central Act 20 of 2013);

(r) "eligible applicant for Fair Price Shop" means a person with a satisfactory economic background having minimum qualification 10+2 or its equivalent qualification, having Parivar Pehchan Patra and having basic knowledge of computer, who is not less than twenty-one years and not more than forty-five years of age and is a resident of the locality for which the Fair Price Shop license is applied for. The applicant shall not be a close family member of a candidate i.e. spouse, son, daughter or close relative (Parents, Brother/Sister/their children and Brothers-in-law/Sisters-in-law) of a sitting Sarpanch or Panch of the Gram Panchayat and Municipal Committee, Municipal Council or Municipal Corporation. Any Sarpanch or Panch of a village, a member of Municipal Committee, Municipal Council or Municipal Corporation shall not be eligible for license of Fair Price Shop. Any Fair Price Shop Owner if subsequently, elected as Sarpanch or Panch of a village, a member of Municipal Committee, Municipal Council or Municipal Corporation, his/her license shall also be deemed cancelled. The applicant shall not be a permanent or contractual employee of the State or the Central Government. Any Fair Price Shop Owner if subsequently becomes permanent or contractual employee of the State or the Central Government, his license shall be deemed cancelled.

(s) "e-PDS" means electronic public distribution system;

(t) "Fair Price Shop" means a shop which has been granted a license to distribute commodities to the beneficiary or ration card/Parivar Pehchan Patra holders under the Targeted Public Distribution System under this Order. The license of a Fair Price Shop shall be granted for a minimum of 300 beneficiaries ration cards/Parivar Pehchan Patra, but in rural areas a village shall be treated as one unit for this purpose and as such the license for the fair price shop may be issued even for less than 300 ration cards/Parivar Pehchan Patra of the village;

(u) "Fair Price Shop Owner" means a person and includes a cooperative society or any other body not owned, managed or controlled by the Central or State Government in whose name a shop has been licensed to distribute commodities under the Targeted Public Distribution System;

(v) "FEAST" means Food and Essential commodities Assurance and Security Targeted for Targeted Public Distribution System which is an online application for completing supply chain cycle for Targeted Public Distribution System;

(w) "Food Security Act" means the National Food Security Act, 2013 (Central Act 20 of 2013);

(x) "Inter State Portability" means facility provided to beneficiaries enabling to draw their ration from any Fair Price Shop among the States under the Targeted Public Distribution System;

(y) "licensing authority" means the District Food and Supplies Controller of the concerned district and for CONFED or any other agency for operation of Targeted Public Distribution System at State level shall be Director, Food Civil Supplies and Consumer Affairs Department;

(z) "point of sale device" means an electronic device used for transaction during distribution of Targeted Public Distribution System commodities in a Fair Price Shop;

(za) "place of business" means the place where a dealer or a Fair Price Shop Owner stores, sells or distributes any of commodities under the Targeted Public Distribution System and the National Food Security Act, 2013 (Central Act 20 of 2013);

(zb) "portability" means a facility provided to the beneficiaries enabling to draw their entitled ration from any Fair Price Shop at their convenience across the nation;

(zc) "ration card" means a paper or electronic document or smart card issued under an Order or authority of the State Government or the Central Government to the beneficiaries for the purchase of commodities under the Targeted Public Distribution System or National Food Security Act, 2013 (Central Act 20 of 2013) or any other specific objective under any Central or State Government Order;

(zd) "Parivar Pehchan Patra" means a family having 08 digits unique family-ID number under Haryana Parivar Pehchan Act, 2021 (20 of 2021);

(ze) "recovery" means recovery of commodity or its economic cost as fixed by the Government of India or the State Government crop wise;

(zf) "State Government" means the Government of State of Haryana in the administrative department;

(zg) "social audit" means the process in which people collectively monitor and evaluate the Targeted Public Distribution System;

(zh) "supply chain management" means the process evolved under the Targeted Public Distribution System for movement of stocks from depots designated by the Central Government or agencies appointed by the State Government to Fair Price Shop point through an electronic mode of operation;

(zi) "Targeted Public Distribution System" means the system for distribution of commodities such as wheat, sugar, coarsegrain, mustard oil, rice and such other commodities, as may be made available by the Central or the State Government for distribution to beneficiary from time to time;

(zj) "vigilance committee" means a committee constituted under the National Food Security Act, 2013 (Central Act 20 of 2013);

(zk) "village" means a group of population residing in a particular geographical area and is recorded in revenue record;

(zl) "ward" means the area of a Municipal Committee or Council or Corporation notified by the State Government;

(zm) "working hour" means the hours or period specified by the State Government or Director for opening and closing of Fair Price Shop;

(2) Words and expressions used but not defined in this Order but defined in Targeted Public Distribution System (Control) Order, 2015 of Government of India, the National Food Security Act, 2013 (Central Act 20 of 2013) and the Essential Commodities Act, 1955 (Central Act 10 of 1955) shall have the meaning respectively assigned to them;

Grant of license to dealer:

3. (1) No dealer shall operate without a valid license.

(2) The license shall be granted to the dealer by the State Government as per Form 'A'.

Licensing authority of Fair Price Shop Owner.

4. (1) No person shall operate a Fair Price Shop with any commodities under the Targeted Public Distribution System except under and in accordance with a license issued in this behalf by the licensing authority:

Provided that such a license obtained under any of the relevant licensing order in force on the date of coming into force of this Order shall be deemed to be a license issued under this Order from the date of coming into force of this Order.

(2) A separate license shall be required for each place of business dealing with commodity under the Targeted Public Distribution System;

(3) No family member of a Fair Price Shop Owner shall be eligible to get another license for another Fair Price Shop and no person shall operate a business license in another name (Benami).

Explanation:- "family" includes all those persons whose names have been entered in the ration card of a Fair Price Shop Owner;

(4) No person shall be eligible to apply for a license of Fair Price Shop if, his license has been cancelled previously under the Public Distribution System Control Order or any other Act or Order of the State Government;

(5) The licensee shall use Point of Sale device and any other device as directed by the State Government and execute all the sale transactions under Targeted Public Distribution System through devices as a precondition to get the license to run the Fair Price Shop from the date, as notified by the State Government;

Provided that failure to use Point of Sale device or such device at any time without any valid reason shall lead to cancellation of the license.

Issue of Fair Price Shop license.

5. (1) The Licensing authority shall call for applications through local publicity and munadi in the local area of the Fair Price Shop. For all categories the applicant shall be unemployed. Minimum qualification shall all categories as prescribed in section 2(r) for eligible applicant for Fair Price Shop;

(2) minimum 33% Fair Price Shop shall be reserved for women. The category of preference within 33% women reservation of all eligible women applicants shall be as under:-

(i) Female Victim of acid attack

(ii) Widow

(iii) Female applicant except (i) & (ii) above

Provided that applicant possessing higher qualification shall be preferred in case more than one applications are received in same category.

(3) The category of preference of all eligible male applicants shall be as under:-

(i) Scheduled caste male

(ii) Backward caste male

(iii) Male applicant except (i) & (ii) above

Provided that applicant possessing higher qualification shall be preferred if, more than one applications are received in same category.

(4) The 33% women reservation shall be implemented in a manner that every 3rd Fair Price Shop PDS License shall be allotted to the women candidate and the record in this regard shall be maintained in the every concerned District Food and Supplies Controller office.

(5) Applications for Fair Price Shop shall be recommended by concerned Panch or Sarpanch in rural area, Mayor/Deputy-Mayor/Municipal Councilor for Municipal Corporation and likewise in Municipal Council in urban area, Member of Legislative Assembly of the concerned constituency. Applications for Fair Price Shop shall be verified by concerned Inspector Food and Supplies or Sub-inspector Food and Supplies and forwarded by Assistant Food and Supplies Officer. The applicant should have Pariwar Pehchan Patra ID.

(6) Every license issued, reissued or renewed under this Order shall be in Form B and shall specify the commodity (commodities) scheme wise, which the Fair Price Shop owner shall deal in and the place of business and jurisdiction where the Fair Price Shop owner shall operate.

(7) Every application for renewal shall be made along with the original copy of license at least forty-five days before the date of expiry of such license;

(8) Application for renewal of license shall be disposed of before the date of expiry of the license:

Provided that where an application for renewal of license has been received by the licensing authority within the specified period and not rejected or returned to the applicant, the validity of license shall not be deemed to have expired until disposal of the application.

(9) Where a license issued under this Order has been lost or destroyed or defaced, the Fair Price Shop owner shall immediately obtain a duplicate copy thereof from the licensing authority on application by depositing the fee.

(10) Grant of license shall not confer a right on the licensee for allotment of Targeted Public Distribution System items. The authority competent to allocate Targeted Public Distribution System items shall decide on the quota to be allocated to each Fair Price Shop Owner with due consideration to factors like choice of beneficiaries, utilization of the quota allocated earlier, distance from the area proposed to be serviced, compliance of the provisions made under this Order.

(11) The license shall not be transferred to any person or family member or any other relative or any other person in any case.

(12) All the above Fair Price Shop Services shall only be delivered through online or other mechanism as specified by State Government.

Period of license and fee chargeable.

6. (1) Every license granted under this Order shall unless revoked or expired earlier, be valid for a period of one year or part of a year and may be renewed for a period of two years or part of a year at a time;

Provided that no license shall be renewed in case the Fair Price Shop Owner attains the age of sixty years.

Explanation.- "year" means the financial year commencing on the 1st day of April and ending on the 31st day of March of the succeeding year.

(2) The fees chargeable in respect of each license shall be as under:-

(a) for issue of license of Fair Price Shop: ₹ 5000/- (Five thousand rupees only);

(b) for issue of license of dealer: ₹ 20,000/- (Twenty thousand rupees only);

(c) for renewal of license of Fair Price Shop: ₹ 1000/-(One thousand rupees only);

(d) for renewal of license of dealer : ₹ 5000/- (Five thousand rupees only);

(e) for issue of duplicate license: ₹ 500/- (Five hundred rupees only):

Provided that if a licensee fails to renew his license before 31st March, he may get it renewed within three months from the expiry date but for his failure to renew the license within the stipulated period, he shall show sufficient reasons justifying the delay:

(i) If a Fair Price Shop owner fails to apply for renewal before the expiry of the validity period, but if he/she applies within one month after the expiry of the validity period, he shall in addition to the renewal fee, pay a penalty of ₹ 500/- (Five hundred rupees only).

(ii) If a Fair Price Shop owner fails to apply for renewal within two months of the expiry of the validity period, he shall, in addition to the renewal fee, pay ₹ 1000/- (One thousand rupees only)

(iii) If a Fair Price Shop owner fails to apply for renewal within three months of the expiry of the validity period, he shall in addition to the renewal fee pay a penalty of ₹ 2000 (Two thousand rupees only)

(iv) Every application for grant of license of a Fair Price Shop or for renewal thereof or for duplicate copy thereof shall be made to the licensing authority in Form A and shall be completed within one month.

(v) If the Fair Price Shop owner fails to renew his license after the lapse of three months, his license shall be deemed to be cancelled, unless he shows sufficient reasons justifying the delay. If the licensing authority is satisfied with the reason for delay, the license shall be renewed after depositing ₹ 20,000/-(Twenty thousand rupees only) in addition to renewal fee.

(3) The fees specified above shall be deposited in the Government Treasury by a challan to the credit of the State Government under the Major Head "0435-Other Agricultural Programme 0435-51-800-99-96 for license/renewal/security fee and 0435-51-800-99-97 for ration card fee or through online mode as specified by the State Government from time to time".

(4) The application shall be accompanied by a receipt treasury challan as a token of payment of fees.

Security deposit

7. (1) Every Fair Price Shop Owner or dealer shall, before a license is issued to him, deposit an amount mentioned below by way of security in favour of the licensing authority in the manner hereinafter as specified below:-

(i) for Fair Price Shop : ₹ 20,000/- (twenty thousand rupees only)

(ii) for dealer : ₹ 50,000/- (fifty thousand rupees only)

(2) The security deposit referred to in sub-clause (1) shall be in form of "Deposit at Call-Receipt" of the State Bank of India or any Nationalized Bank or Authorized Bank of the State Government endorsed in favor of the licensing authority.

(3) The amount of security deposit as specified above may be increased if, any additional device is given or as directed by the State Government.

Power to refuse, renewal of license of dealer and Fair Price Shop Owner.

8. (1) The licensing authority shall give a reasonable opportunity of being heard to the applicant and after hearing may refuse to renew license, if it is of the opinion that the performance of the Fair Price Shop owner was not satisfactory or that the Fair Price Shop owner has contravened any provisions of the Act or any Order issued there under or terms and conditions of license, or that the Fair Price Shop owner has other commercial interests, which may be detrimental to the smooth functioning of Targeted Public Distribution System or that the expected size of operations of the dealer is not economically viable or that the renewal of license may otherwise be not in the interest of efficient functioning of the Targeted Public Distribution System. The licensing authority shall pass a speaking order in this regard.

(2) Where the application for grant of license is not refused, the licensing authority shall grant the applicant a license in Form B subject to the conditions mentioned therein and such other conditions, as the licensing authority may specify or such instructions, as the licensing authority may issue, from time to time.

Responsibilities and duties of Fair Price Shop Owners.

9. The responsibilities and duties of the Fair Price Shop owners shall include inter alia--

(i) deposit the cost of Targeted Public Distribution System commodities with the wholesale nominee or dealer or any other agency authorized by the State Government within the time stipulated by the State Government. Sale of commodities as per the entitlement of beneficiaries ration card/Parivar Pehchan Patra holders at the retail issue price fixed by the State Government under the Targeted Public Distribution System;

(ii) receive the commodities of monthly allocation in Point of Sale device immediately after taking the delivery in Fair Price Shop.

(iii) display up to date information on a notice board at a prominent place in the shop on a daily basis regarding—

(a) helpline numbers;

(b) Fair Price Shop Owner mobile number;

(c) Fair Price Shop ID number (12 digits);

(d) Office telephone number of Inspector or Assistant Food Civil Supplies & Consumer Affairs Officer or District Food, Civil Supplies & Consumer Affairs Controller;

(e) list of beneficiaries of all categories;

(f) entitlement of commodities;

(g) scale of issue;

(h) retail issue price;

(i) timings of opening and closing of the Fair Price Shop;

(j) stocks of commodities received during the month;

(k) Opening and closing stock of commodities;

(l) authority for redressel of grievances or lodging complaints with respect to quality and quantity of commodities under the Targeted Public Distribution System.

(iv) maintenance of record of beneficiaries ration card holders;

(v) furnishing of copies of specified documents either manually or electronically as directed by the State Government to the office of District Food & Supplies Controller or District Food & Supplies Officer or Assistant Food & Supplies Officer or Inspector Food & Supplies or Sub Inspector Food & Supplies demanded for office purpose or Right to Information Act, 2005 (Central Act 22 of 2005) or Gram Panchayat or Nagar Palikas or Nagar Parishad or Nagar Nigam or Vigilance Committee or any other body authorized for this purpose;

(vi) display of samples of food grains in a transparent container being supplied through the Fair Price Shop;

(vii) production of books and records manually or electronically generated relating to the allotment and distribution of commodities to the inspecting agency and furnishing of such information, as may be called for by the authority;

(viii) opening and closing of the Fair Price Shop as per the prescribed timings displayed on the notice board;

(ix) the beneficiaries/ration card/parivar pehchan patra holders shall not be denied the supply as per entitlement of commodities lying in stock with Fair Price Shop Owner under the Targeted Public Distribution System;

(x) the Fair Price Shop Owner shall provide the relevant extract of the record maintained by him to the beneficiary on payment of Fifty Rupee only or any fee as may be specified by the State Government from time to time;

(xi) the Fair Price Shop Owner shall not retain ration card after the distribution of commodities;

(xii) the Fair Price Shop Owner shall use only electronic weighing machine for weight and measures which are duly verified by the Legal Metrology Department, Haryana;

(xiii) the Fair Price Shop Owner shall keep the complete records of the Targeted PDS items for at least two years in his safe custody or as directed by the State Government;

(xiv) the Fair Price Shop Owner shall give information every month about the allocated Targeted Public Distribution System item, the quantity distributed by him to the eligible consumers and the balance stock etc. to any two members of the vigilance committee otherwise no supply of Targeted Public Distribution System item shall be given to the Fair Price Shop Owner for the next month. He shall also obtain "Satisfaction certificate" from the vigilance committee regarding satisfactory distribution of all allotted items in the previous month;

(xv) the Fair Price Shop Owner shall store and sell commodities only at the place specified in the license; or the place approved by licensing authority;

(xvi) The Fair Price Shop Owner shall deal with the beneficiaries with due respect. Senior Citizens and female beneficiaries shall be given due respect and regard;

(xvii) keep the Point of Sale device in safe custody and handle the Point of Sale device with due diligence;

(xviii) Fair Price Shop Owner shall be solely responsible for full or partial damage or tampering to Point of Sale device up to the extent of cost of the device alongwith penalty upto the amount of security deposited by him;

(xix) give printed receipt of distributed commodities generated from Point of Sale device to the beneficiary;

(xx) no authorized Fair Price Shop owner shall allow the person other than the family members for distribution of scheduled commodities in his shop. If any person found distributing the scheduled commodities as benami, the authorization of such shop shall liable for cancellation and seizure of available commodities in the shop under section 6A of the Essential Commodities Act, 1955 (Central Act 10 of 1955) shall be liable for penalties under section 7 of the said Act;

(xxi) the Fair Price Shop owner shall not retain the scheduled commodities after taking authentication of the beneficiaries through electronic Point of Sale device;

(xxii) the Fair Price Shop Owner shall not put any standard packet or weight or stones, for generation of receipt through electronic Point of Sale device and shall not use any tins or containers to measure the commodities for distribution of commodities to the beneficiaries;

(xxiii) Fair Price Shop Owner shall not sell the scheduled commodities over and above the rates fixed by the State Government from time to time;

(xxiv) Fair Price Shop Owner shall extend cooperation during the social audit;

(xxv) Fair Price Shop Owner shall not tamper the records, spoil the electronic devices, use the SIM cards for other than transactions of the targeted Public Distribution System.

(xxvi) The Fair Price Shop owner shall assist the State Government in home delivery of commodities as and when it is decided to be executed by the State Government.

Responsibilities and duties of dealers.

10. (1) The dealers shall be responsible for,-

(a) keeping safe the essential commodities meant for the Targeted Public Distribution System after obtaining the same from the authorized or nominated agency in the month preceding to the month to which the allotment relates;

(b) supplying the Targeted Public Distribution System commodities to the Fair Price Shop Owner immediately on demand and subject to prepayment of cost of commodities as may be prescribed;

(c) maintaining register or records, manually or electronically generated, as may be prescribed by the State Government or licensing authority from time to time;

(d) producing such records and information as called for by the authorized inspecting officers;

(e) keeping certified electronic weighing machine, weights and measures, as may be prescribed by the State Government;

(f) displaying the following information on a notice board at prominent place outside the business premises near the entrance of the premises, namely:-

(i) help line numbers;

(ii) timing of the shop;

(iii) opening stock, quantity received, sold, closing stock, on a daily basis;

(iv) issue price of each (commodity);

(v) license number/name of owners and mobile number;

(g) providing correct cash memo in sequential Order, gate passes and in case of listed commodities, printed copy of weighment slip to the Fair Price Shop Owner;

(h) displaying samples of food grains in stocks kept for sale in transparent container;

(i) providing relevant extracts of records to any person on payment of rupees fifty or any fee prescribed by the State Government from time to time;

(j) arranging for scientific storage of the Targeted Public Distribution System commodities;

(k) ensuring that his agents and employees comply with all terms and conditions of the license and provisions of this Order;

(l) Lift and deliver the commodities timely for allocation month to Fair Price Shops as directed by the State Government;

(m) The fee and timelines for obtaining the extracts of record shall be as per the provisions of Right to Information Act, 2005 (central Act 22 of 2005).

(2) The dealer shall not,-

(a) close the business premises during the business hours on working days without obtaining prior written permission of the licensing authority or an officer authorized by the licensing authority or by the State Government;

(b) deliver the Targeted Public Distribution System commodities to any person other than that a licensee for whom the commodities are meant to be supplied;

(c) stock or store the Targeted Public Distribution System commodities at any place other than the place allowed in the license;

(d) retain the record or register of other licensees with him;

(e) keep the records relating to the business at any place other than the licensed business premises.

Facilities at wholesale or retail points of dealers and Fair Price Shops and their working hours.

11. The dealers and Fair Price Shop Owners shall arrange for providing following infrastructure and facilities at their business premises, namely: -

(a) adequate size of building in which at least quantities of two month's normal allotment of listed commodities may be stored and its distribution may be done without any inconvenience to the beneficiaries;

(b) minimum area for Fair Price Shop shall be 150 square feet. There shall be enough space in front of the Fair Price Shop for separate queues for women and men;

(c) ensure to install a point of sale device or any other device as per the instructions of the State Government, from time to time.

Period	Timing
Summer season	8:00 AM to 12:00 Noon
1st April to 30th September	5:00 PM to 8:00 PM
Winter season	9:00 AM to 1:00 PM
1st October to 31st March	3:00 PM to 6:00 PM

Maintenance of accounts.

12. (1) A Dealer and Fair Price Shop Owner shall maintain separate registers of accounts, sale or stock manually or electronically generated for each commodity supplied. He shall also maintain the record of the receipts or invoices of commodities received and disposed under the Targeted Public Distribution System and such other particulars, as the State Government or licensing authority may, by order, specify, in this regard;

(2) It shall be mandatory for the dealer or Fair Price Shop Owner to preserve the books of accounts or online sale receipt generated through Point of Sale device for inspection by competent authority for a period as per instructions issued by the State Government from time to time.

Contravention of conditions of license or control order.

13. (1) No holder of a license issued under this Order shall contravene any of the terms or conditions of the license or of any control Order issued under the Act. If he contravenes any of the said terms or conditions, without prejudice to any other action that may be taken against him, supply shall be suspended immediately without giving any notice. If the licensing authority is satisfied that the Fair Price Shop Owner has contravened any of the conditions of the license or is not performing his duties properly such as:-

(a) not displaying upto date information on a notice board at a prominent place in the Shop on daily basis as defined in section 9 of the order;

(b) not providing printed receipt of distributed commodities generated from POS device to the beneficiary,

Then the licensing authority may take one or more actions against the licensee as mentioned below, namely-

(i) forfeiture of security deposit in full amount or any part thereof, not less than two thousand rupees depending upon the gravity of contravention;

(ii) cancellation of license and forfeiture of security amount deposited by him;

(iii) registration of criminal case for diversion or embezzlement of Targeted Public Distribution System items and damaging of record maintained as per provisions of the Act or this Order;

(iv) the licensing authority shall pass a speaking order:

Provided further that no order with regard to above mentioned penal action shall be made the licensee has been given a reasonable opportunity of being heard.

(2) The licensee shall, if the amount of security at any time falls short of the amount specified in sub clause (1) of clause 7, forthwith deposit further security to make up the amount on being required by the State Government or licensing authority to do so.

(3) Upon compliance with all obligations under the license by the licensee, the amount of security deposit or such part thereof, which is not forfeited as aforesaid, shall be refunded to the licensee after termination of the license by the licensing authority.

(4) If any misappropriation or diversion or substitution or perishment of Targeted Public Distribution System commodities is caused by licensee, transporter or contractor or dealer or any other person or agency authorized by the State Government for lifting or unloading or transporting or distributing the Targeted Public Distribution System commodities by the State Government, the amount of commodities so misappropriated or diverted or substituted or perished shall be calculated as per the prevailing rate of commodity realized from Food Corporation of India or market rate or rate prescribed by the State Government, whichever is higher. The amount so calculated for commodity shall be recoverable in the form of penalty from security or receipt in government account as mentioned in sub-clause (3) of clause 6 of this order or as arrears of land revenue from licensee, transporter or contractor or dealer or any other person or agency authorized for lifting or unloading or transporting or distributing the Targeted Public Distribution System commodities by the State Government.

(5) The licensing authority may by a written order, suspend the license of a Fair Price Shop Owner or Dealer, if a proceeding under any provision of this order has been initiated against the Fair Price Shop Owner or Dealer and the said licensing authority is satisfied that it is not in the interest of the smooth operation of the Targeted Public Distribution System to allow the dealer or the Fair Price Shop Owner to handle the Targeted Public Distribution System stocks. Prior notice shall be necessary before passing any order under this sub-clause.

Explanation- for the purpose of this sub-clause, the proceedings under the provisions of this order shall be deemed to have been initiated on the date of issue of the show-cause notice by the licensing authority.

(6) No prior show cause notice shall be required for withholding the allocation of quota to any licensee for a period not exceeding sixty days pending enquiry or investigation against the licensee, if the licensing authority has reasons to believe that the licensee has not maintained proper and correct accounts in respect of the quota allocated to him earlier or has illegally diverted or substituted the Targeted Public Distribution System stocks or committed any other irregularities.

(7) The authority or any person authorized by it in this behalf or any other person who is engaged in the distribution and handling of commodities under the Targeted Public Distribution System, shall not indulge in substitution or adulteration or theft of stocks from authorized godowns or in transit or from the Fair Price Shop premises.

Explanation- For the purpose of this clause—

(i) "diversion" means unauthorized movement of delivery of commodities released from central godowns or authorized godowns but not reached to the eligible beneficiaries under the Targeted Public Distribution System or diversion of route without prior written approval of the competent authority.

(ii) "substitution" means replacement of commodities released from central godowns or authorized godowns with the same articles of inferior quality for distribution to the eligible beneficiaries under the Targeted Public Distribution System.

Cancellation of license in case of conviction.

14. Notwithstanding anything contained in clause 13, where a licensee has been convicted by a court of law in respect of contravention of any order made under section 3 of the Act relating to any of the commodities or under any of the Act or Order as may be applicable, the licensing authority shall, by order in writing, cancel his license immediately;

Provided that where the licensee is acquitted or such conviction is set aside in any order, appeal or revision and where no appeal has been preferred or time period of appeal has expired, the licensing authority may, on application in Form A by the person whose license has been cancelled, reissue the license, with payment of renewal fee or any other fee due, to such person up to the period mentioned in the license so cancelled.

Submission of returns.

15. The State Government or the Director or the Deputy Commissioner of the District or the licensing authority, as the case may be, may direct the licensee to submit a return in Form C from time to time.

Appeal.

16. 1. All appeals against any Order of District Food and supplies Controller regarding Fair Price Shop Services as a Licensing Authority under this Order shall lie before the Deputy Commissioner of the concerned District. Such appeals shall have to be filed within a period of thirty days from the date of Order of the licensing authority.

2. All appeals against any order of Director as a licensing authority as defined in section 2 (y) shall lie before the Additional Chief Secretary to Government of Haryana, Food Civil Supplies & Consumer Affair Department. Such appeals shall have to be filed within a period of thirty days from the date of order of the licensing authority.

Power to direct disposal of stocks.

17. Where any person or licensee holding any stock of commodities under the Targeted Public Distribution System does not obtain or retain a license after commencement of this Order or where any licensee holding any stock of commodities does not renew a license or where his application for renewal thereof has been refused or cancelled or suspended as the case may be, the licensing authority may direct such person to dispose of stocks of commodities held by him by sale or transfer to such other person or persons by such date, as may be specified in the direction and the person shall comply with such direction.

Issue of direction and guidelines.

18. The State Government shall be empowered to issue such guidelines and directions from time to time, as it considers necessary to improve the efficiency and effectiveness of the Targeted Public Distribution System and for carrying out the purposes of this order.

Attachment of supply of commodities from one Fair Price Shop to another.

19. When supply of a Fair Price Shop is suspended or license is cancelled or Fair Price Shop Owner is unable to perform his duties due to death, illness or any other valid reason, the supply of that Fair Price Shop shall be attached to nearest Fair Price Shop keeping in view of the interest and convenience of beneficiaries. The balance stock of commodities shall also be shifted to the Fair Price Shop with whom supply is attached. Record and relevant entries in the documents of the balance stocks shall have to be maintained by the Fair Price Shop Owner with whom supply is attached. The Point of Sale device with related equipments and record shall also be handed over to attached Fair Price Shop in presence of concerned Sub Inspector of Food and Supplies or Inspector of Food and Supplies or Assistant of Food and Supplies Officer.

Issue of Ration Cards.

20 . (1) The State Government shall issue distinctive paper or data based electronic ration cards to beneficiaries under the Targeted Public Distribution System. Ration cards shall be issued following such procedure, as may be prescribed by the State Government from time to time:

Provided that ration cards shall not be issued to those persons who are not citizens of India and who are not residents or domiciles of the area of the State for which they are applying for ration cards. The applicant shall have to submit a valid identity proof with the application for ration card.

(2) No person shall,-

(i) apply for or receive ration card if, a ration card has already been issued to him or in favour of a member of his family with his name included in the card;

(ii) give incorrect details or information while applying for a ration card for the family;

(iii) willfully alter or destroy, deface or permit to deface any of the entries in the ration card.

(iv) transfer to any other person, a Ration Card issued to him and use or dispose of or obtain such card except under and in accordance with the provisions of this Order.

(3) Ration cards, issued prior to date of coming into force of this Order shall remain valid till such date, as the State Government may decide.

(4) Ration cards shall have clearly marked on it the name and address of the ration card holder, name, age of family members and their relation with head of family and name and number of the Fair Price Shop along with the address of its location from where the ration card holder is entitled to purchase commodities and such other details, as may be decided by the State Government.

(5) No person, not being a member of the family for which the card has been issued, shall obtain, hold or use the ration card of another person.

(6) Every ration card under this Order shall be the property of the State Government but the person to whom it is issued, shall be responsible for its safe custody.

(7) If any ration card is defaced, lost or destroyed, an authorized officer, after making such enquiry, as he may deem fit, issue a new online ration card in place thereof, on payment of such fee, as may be specified.

(8) The authority competent to issue a ration card shall be competent to withdraw or cancel a ration card if it is found that the holder of the card is not eligible for the card and in every such case, the holder of the ration card shall be bound to surrender the ration card on demand for endorsement or cancellation, as the case may be.

(9) Ration card of category like Antodya Ann Yojana /Below Poverty Line/Other Priority Household shall not be transferred from original address of survey to any other address.

Prohibition against misuse of ration card or commodities.

21. (1) No person shall

(i) dishonestly apply for or receive a ration card if, he knows or has reason to believe that his name is already included in any other ration card issued to any household.

(ii) obtain a ration card by furnishing false information.

(iii) without lawful authority alter or destroy a ration card issued to him.

(iv) use commodities supplied under the Targeted Public Distribution System for other than his household consumption.

(v) resort to resale the commodities drawn under the Targeted Public Distribution System either with collusion of Fair Price Shop Owner or dealer or other person leading to recycling or change of quality, exchange etc.

(vi) purchase the commodities supplied or intended for supply through the Targeted Public Distribution System either from the card holder or from the Fair Price Shop owner or dealer or any middle man or other source. Otherwise, such Fair Price Shop Owner or dealer or middle man or other person involved shall be liable for criminal action and imposition of such penalty, as may be fixed by the competent authority.

(2) If any cardholder is found to have misuse commodities issued under the Targeted Public Distribution System, he shall be liable for criminal action besides cancellation of his Ration Card.

(3) In case, any person is found to be involved in purchase, sale, recycling, diversion of foodgrains supplied and intended for supply under the Targeted Public Distribution System, or any other act prohibited in this order, shall be liable for criminal action or imposition of such penalty or both as may be fixed by the competent authority.

Power of entry, search and seizure etc.

22. (1) Any officer not below the rank of Sub-Inspector food and supplies as authorized by the licensing authority or the State Government in this behalf with such assistance, if any, as he thinks fit may-

(i) require the owner, occupier or any person in charge of the place, premises, vehicles or vessels in which he has reason to believe that any contravention of the provisions of this Order or of the conditions of any license issued there under has been, is being or is about to be committed, to produce any books, accounts or other documents showing transactions relating to such contraventions;

(ii) enter, inspect or break, open any place, premises, vehicles or vessels in which he has reason to believe that any contravention of the provision of this order or of the conditions of any license issued there under has been, is being or is about to be committed;

(iii) take or cause to be taken, extracts from or copies of any documents showing transactions relating to such contraventions which are produced before him;

(iv) test or cause to be tested the weights of all or any of the commodities found in any such premises;

(v) search, seize and remove the stocks of the commodities and the packages, covering, animals, vehicles, vessels or other conveyances used in carrying the said commodities in contravention of the provision of the this order or of the conditions of any license issued there under and thereafter take or authorize the taking of all measures necessary for securing the production of the commodities and the packages, coverings, animal, vehicles, vessels or any other conveyances so seized in a court and for their safe custody pending such production

(2) The provisions of section 100 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act 2 of 1974) relating to search and seizure shall, so far as possible apply to searches and seizures under this clause.

(3) Team or member of social Audit and vigilance committee appointed under Food Security Act, 2013 (Central Act 20 of 2013) shall also empower to inspect the Fair Price Shop and its records.

Penalties for possessing cards, making false entries or diverting stock.

23. Notwithstanding anything contained in this Order-

(a) If any Fair Price Shop Owner found to be in possession of ration cards or draws scheduled commodities fraudulently, such Fair Price Shop Owner shall be liable to pay the amount of all commodities as mentioned in clause 13(4) of this Order as supposed to have been supplied or drawn on such cards from the date of issue of authorization to the Fair Price Shop Owner concerned or from the date of issue of such ration card, whichever is later.

(b) If any Fair Price Shop Owner distributes scheduled commodities, diverts stocks with a view making fictitious entries subsequently or cover up the excess stocks already available with such Fair Price Shop Owner shall be liable to pay the amount of all commodities as mentioned in clause 13(4) of this order from the date of issue of authorization to the Fair Price Shop Owner concerned or from the date of issue of such Ration Card whichever is later.

(c) If any Fair Price Shop Owner diverts Targeted Public Distribution System PDS stock either wholly or partly the owner shall be liable to pay the amount of all commodities as mentioned in clause 13(4) of this Order

Fair Price Shop Owner shall also be liable for cancellation of license or forfeiture of security or both. In addition to the above he may also be liable for punishment under section 7 of the Essential Commodities Act, 1955 (Central Act 10 of 1955).

Interruption in the process of distribution.

24. (1) No Fair Price Shop Owner or card holder on any person shall be allowed to cause interruption or interfere with the process of smooth distribution of scheduled commodities under the Targeted Public Distribution System or any other Government schemes at any level, till the scheduled commodity reached to the intended beneficiary. Any such attempt of interruption or interfering with such process shall be treated as an abetment and be deemed to have contravened this Order, thereby committed an offence under section 8 of the Essential Commodity Act, 1955 (Central Act 10 of 1955).

(2) Any authorized Fair Price Shop Owner or any other person who interfere with the process of distribution or abet the contravention of any of the provisions of this Order or the terms and conditions of authorization or the directions issued by the State Government, shall be prosecuted by the respective Station House Officer on receipt of report from the inspecting authority.

Delivery of documents and obligations to furnish certain information.

25. Every authorized Fair Price Shop Owner shall when so required by the officer authorized in this behalf -

(a) deliver all ration cards and other documents collected as per the orders of the State Government or for the purpose of this Order.

(b) furnish such particulars relating to their dealings in and stock of scheduled commodities, as may be required.

Social audit.

26. The Rural Development Department, Haryana and Urban Local Bodies Department, Haryana shall collectively monitor and evaluate the Targeted Public Distribution System to ensure accountability and transparency as per guidelines issued by the State Government. Deputy Commissioner or licensing authority shall take action on the suggestions in the social audit report to make the Targeted public distribution system more effective. In case, if any contravention of this order or non- distribution or improper distribution of scheduled commodities by the Fair Price Shop Owners is found in the social audit report, the licensing authority may take action against the Fair Price Shop Owners as per the provisions of this Order.

Prohibition of benami dealership.

27. No person who is not holding a license in his name shall operate a shop as proxy or benami Fair Price Shop or as a de-facto owner by using a license granted to another person, group, Cooperative Society or Non Governmental Organization.

Exemption.

28. The State Government or any other officer authorized by the State Government in this behalf, by special or general order and subject to such conditions, as may be specified in the order, exempt any person or class of persons from the operation of all or any of the provisions of this Order.

Repeal and savings.

29. The Haryana Public Distribution System (Licensing and Control) Order, 2009, is hereby repealed;

Provided that such repeal shall not affect-

(a) the previous operation of any Order repealed under this clause (here in after referred to as the "repealed Order" or anything duly done or suffered therein; or

(b) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the repealed Order; or

(c) any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed under the repealed Order; or

(d) any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment, as aforesaid; and any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed as if this Order had not been issued.

Provided further that notwithstanding anything mentioned in this clause, all applications for issue of license or renewal of license which have been filed under the provisions of the Haryana Public Distribution System (Licensing and Control) Order, 2009 and have not been finally disposed of on the date of coming into force of this Order, shall be disposed of in accordance with the provisions of this Order.

FORM A

See Clause 3(2)

[The Haryana Public Distribution System (Licensing and Control) Order 2022] Application for grant/renewal/reissue of license (fair price shop/dealer)/ issue of duplicate copy of license (fair price shop/dealer)

1. Applicant's name.
   (a) Father/Husband's name:
   (b) Whether SC/ST/SCM/PH:
2. Applicant's profession:.
3. Applicant's residence:
4. Name of the PDS commodity/commodities in which the applicant wants to deal with :
5. (a) Details of place where the applicant wants to act as dealer/fair price shop:
   (b) Place of business:

   Plot No. Street Address----------

   Khata No. ----------

   Mouza: Pin Code----------

   Description of boundary: …….

   To the East…….. District……

   North……..

   West……

   South……...

   (c) Nature of premises
      (i) Building Pucca/Kacha
      (ii) Roofing (RCC, Asbestos sheet etc.)
      (iii) Compound wall. Yes/No
   (d) Ownership of premises Own/rented

   If rented, the details of Agreement made with the owner
6. Whether, the applicant wants to act as Fair Price Shop/Dealer
7. Did the applicant hold a license on any- previous occasion?

   (If so, give particulars including its suspension or cancellation, if any.)
8. Quantity of each of the PDS commodities handled annually during last three years …
9. Quantity of each of the PDS commodities likely to be handled during the current year. ……
10. Income-tax paid in the two years preceding the year of application. …

    (to be indicated separately)

    (Income Tax Clearance Certificate to be attached)
11. (a) Quantities of each of the PDS commodities in the possession of the applicant on the date of application:
    (b) complete address of places where the essential commodities are proposed to be stored.

I declare that the quantities of each of the essential commodities specified above are in my possession this day and are held at the places noted above.

I have carefully read the conditions of license given in Form B appended to the Haryana Public Distribution System (Licensing Control) Order, 2022 and I agree to abide by it.

I declare that the data/ information furnished by me in the application are true and correct to the best of my knowledge and belief.

(a) I have not previously applied for such license in this district.

(b) I applied for such license in this district for ----------on----------and was/ was not granted a license on----------.

(c) I hereby apply for renewal of license No.----------Dated.----------

(d) I hereby apply for issue of duplicate copy of license No.------Dated-------

(e) I hereby apply for reissue of license No.----------Dated----------

Place:

Date:

Signature of the applicant

FORM B

see Clause 5(5) and 8(2)

The Haryana Public Distribution System (Licensing and Control) Order, 2022 License for operation as a Fair Price Shop Owner/Dealer

1. Subject to the provisions of the Haryana Public Distribution System (Licensing and Control) Order, 2022 and to the terms and conditions of this license, M/s…… is hereby authorized to operate as a retailer/a wholesaler/ a sub-wholesaler in the PDS commodities mentioned below:-

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

2. (a) The licensee shall carry on the aforesaid business, i.e. store and sale of essential commodities only at the following place:-

Premises in details Building

Street Address Description of boundaries

East West North South

Owner of land

(b) He may purchase the essential commodities from the authorized persons/depots and store the same for sale at places specified under item (i) above.

NOTE- If the licensee intends to store his stocks of essential commodities in a place other than that specified above, he shall obtain prior permission thereof from the licensing authority in writing.

3. The License is subject to following terms and conditions:-

(a) The licensee shall have adequate storage space for entire allotment of *two months* and he shall take adequate measures to ensure that the PDS commodities stored by him are maintained in proper condition and that in case of foodgrains and sugar, damages due to ground moisture, rain, insects, rodents, birds, fire, etc. such other causes are avoided. Suitable dunnage shall be used to avoid damage from ground moisture and the foodgrains shall be fumigated with chemical approved for the purpose by person who has undergone practical training in that regard. The licensee shall also ensure that materials likely to contaminate foodgrains and sugar are not stored along with the same in the same godown or in immediate juxtaposition of foodgrains and sugar.

(b) Declaration of business, stock, price and entitlement are to be displayed near the entrance on the outside of the shop.

(c) The Fair Price Shop/Dealer should operate the shop himself. Accounts must be authenticated by the licensee himself every day.

(d) The prior permission from the licensing authority in writing is to be obtained if the place of business is going to be closed for specific day (s).

(e) The Fair Price Shop Owner /Dealer shall keep certified weights and measures and obtain fire safety clearances and other statutory clearances required for business.

(f) The licensee shall keep reserve stock in such quantities as may be directed by the licensing authority.

(g) The licensee shall install *POS* device, electronic weighing equipments *or any other devices as directed by the Governmen*t for *online distribution and* correct weighment of PDS commodities.

(h) *"Right to Service" board* shall be displayed prominently in the business premises.

(i) The licensee shall meticulously comply with their responsibilities enumerated in clause 10, *11and under other provisions* of the Order.

4. The licensee shall complete his accounts as specified in clause 12 of the Haryana Public Distribution System (Licensing and Control) Order, 2022 for each day to which shall be upon him. There shall be no overwriting in the register, in case corrections are necessitated, the old entry will be scored off and new entry be recorded, duly initialed by the licensee.

5. The licensee shall furnish the reports and returns as specified in clause 15 of the Haryana Public Distribution System (Licensing and Control) Order, 2022 He furnish correctly such information relating to his business as may be demanded by the licensing authority or by any officer authorized in this behalf.

6. The Licensee shall not contravene the provision of the Haryana Public Distribution System (Control) Oder, 2022 or any other Order relating to the essential commodities, issued under the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) or any other law relating to said essential commodities for the time being in force.

7. The licensee shall give all facilities at all reasonable times to the licensing authority or any officer authorized by it or state Government for the inspection of his/her stocks accounts at any shop, godown or other place used by him/her for storage, sale or purchase of essential commodities and for taking samples of such commodities for examination.

8. The licensee shall exhibit at the entrance or some other prominent place of his/her business premises, the price list and stock position of essential commodities held by him/her for sale. Such list shall be legibly written in the principal language of locality concerned. The board shall be painted on the wall or affixed securely thereon in such a manner that the same can not be removed without breaking/damaging the wall. The minimum dimensions of the board shall be as follows:

Dealer:	4 feet by 6 feet
Fair Price shop:	3 feet by 4 feet

9. (A) Fair Price Shop/Dealer licensee shall, except when specially exempted in this behalf, issue to every person from to whom essential commodities are purchased/sold, a correct receipt*/online slip*, invoice or memo, as the case may be, giving therein his own name, address and license No and name, address of the person from to whom purchased/sold with his/her signature, as also the date of transaction, the name or the essential commodities, the quantities purchased/sold, the rate per quintal/kilo liter or kilogram/liter as the case may be, the total price paid/received for each item as also the grand total of the amount paid/received and shall keep a duplicate of the same in his record to make available for inspection on demand by the licensing authority or any officer authorized in this behalf. The cash memos shall be serially numbered and issued sequentially.

(b) The licensee shall follow the procedure of distribution electronically/manually as directed by the government/licensing authority from time to time.

10. The licensee shall comply with any direction that may be given to him by the State Government or the Licensing Authority in regard to purchase, sale and storage of essential commodities

11. The license shall be attached to any application for renewal.

12. The license shall be valid up to the 31st March……..

Place: Licensing Authority

Dated :

Signature of the licensee

FORM C

[see clause 15]

[The Haryana Public Distribution System (Licensing and Control) Order, 2022]

1. Return for the month ending.
2. Name:
3. Address:
4. License No:
5. Registration No and description of vehicle by which stock received :
6. Particulars of Godown where stock stored:
7. Stock at the beginning of the month (figure for each of the PDS commodities shall be indicated separately):
8. Quantity purchased during the month (figure for each of the PDS commodities shall be indicated separately):
9. Quantity sold during the month (figure for each of the PDS commodities shall be indicated separately):
10. Stock at the end of the month (figure for each of the PDS commodities shall be indicated separately):

Place:

Date: Signature of the Licensee

Chandigarh:
The 1st August, 2022.

ANKUR GUPTA,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Food, Civil Supplies & Consumer Affairs Department,
Haryana, Chandigarh.

9780—C.S.—H.G.P. Pkl.